खंड 2
गाँधी की राजनीतिक चिंतन और विचार

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

इकाई 4 स्वराज

संरचना

4.1 प्रस्तावना

लक्ष्य एवं उद्देश्य

4.2 स्वराज

4.3 राजनैतिक स्वराज

4.4 आर्थिक स्वराज

5.4.1 ग्राम विकेंद्रीकरण (ग्राम स्वराज)

5.4.2 स्वदेशी और खादी

5.4.3 सरपरस्ती

5.4.4 रोटी और श्रम

4.5 सामाजिक स्वराज

4.6 स्व-नियंत्रण के रूप में स्वराज

4.7 सारांश

4.8 अभ्यास प्रश्न

4.9 संदर्भ ग्रंथ

4.1 प्रस्तावना

19 वीं सदी के अंत में भारत में एक राष्ट्रीय पहचान और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का विकास हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी; स्वामी दयानंद और स्वामी विवेकानंद ने अपनी पहचान से भारत के गौरव को जागष्त किया। उन्होंने 'वेद' और भारत के अतीत की महानता की बात की। शिक्षित भारतीय मध्यम वर्ग अभी भी खुद को 'सफेद साहबों' से हीन महसूस करता था। अंग्रेजों द्वारा बंगाल के विभाजन ने भारतीय लोगों और लेखकों को हिलाकर रख दिया और रवींद्रनाथ टैगोर सरीखे लेखक अपने 'स्वदेशी समाज' जैसी रचना के माध्यम से भारतीय पहचान बनाने के लिए काम कर रहे थे। तिलक की 'स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है' के नारे ने विशेष रूप से इल्बर्ट बिल (1883) के बाद भारतीय राष्ट्रवाद के नए मिजाज को मजबूत किया।

गाँधी ने शहरों और गांवों, शिक्षित और अशिक्षित के बीच की खाई को पाटने की जरूरत को औपनिवेशिक प्रभाव के तहत नहीं, बल्कि स्वयं भारतीय के जागरण और प्रयासों के माध्यम से रेखांकित किया। 'हिंद स्वराज' (1909) में गाँधी ने अंग्रेजी शब्द independence या freedom के बजाय 'स्वराज' शब्द का उपयोग करते हुए इसकी भावना का प्रचार किया। गाँधी के अनुसार परंपरा की निरंतरता के साथ एक राष्ट्र के निर्माण के लिए एक सामूहिक प्रयास की आवश्यकता थी, जिसमें आवश्यक सुधार के साथ व्यक्तिवाद की अवधारणा को उचित स्थान दिया गया था। गाँधी ने कहा कि स्वराज एक समावेशी अवधारणा है - राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और नैतिक - यह जोर देकर कहा जा सकता है कि मनुष्य के यथासंभव पूर्ण होने की आवश्यकता है।

डॉ. सुशीला रामास्वामी, रीडर, जीसस एंड मैरी कॉलेज, दिल्ली–29 एवं सुरुचि अग्रवाल, शोधार्थी, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली–25

लक्ष्य एवं उद्देश्य

इस यूनिट को पढ़ने के बाद, आप समझ पाएंगे :

- गाँधी के स्वराज की अवधारणा
- स्व-शासन के रूप में स्वराज का अर्थ
- स्वराज के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक आयाम
- आत्म-नियंत्रण के रूप में स्वराज

4.2 स्वराज

गाँधी के आध्यात्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विचारों में स्वराज की अवधारणा को बहुत महत्व दिया गया है और उनके लेखन और भाषणों में अक्सर इसे स्थान मिला है। उन्होंने भारतीय लोगों की भावना को जागरित करने के लिए स्वराज के अर्थ का अपने समय के अनुसार पुनर्मूल्यांकन किया और स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया। उनके अनुसार स्वराज शब्द एक पवित्र शब्द था, एक वैदिक शब्द, जिसका अर्थ है स्व-शासन और आत्म-संयम। गाँधी का मानना था कि राष्ट्रीय स्वराज उसी माध्यम से हासिल किया जा सकता है जो व्यक्तिगत स्वराज प्राप्त करने के लिए आवश्यक था। गाँधी का मानना था कि राष्ट्रीय स्वराज के साथ व्यक्तिगत स्वराज प्राप्त करने के तरीके समान और एक-दूसरे के पूरक थे। गाँधी का कहना था कि स्वशासन पूरी तरह से आंतरिक शक्ति और बाधाओं से लड़ने की क्षमता पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक स्वशासन, अर्थात्, बड़ी संख्या में पुरुषों और महिलाओं के लिए स्वशासन, व्यक्तिगत स्वशासन से बेहतर नहीं है, और इसलिए, इसे ठीक उसी तरह से प्राप्त किया जाना चाहिए, जिस तरह से व्यक्तिगत स्वशासन हासिल किया जा सकता है।

4.3 राजनैतिक स्वराज

गाँधी का मानना था कि प्रचलित शर्तों के अनुसार प्रत्येक राष्ट्र की अपनी सरकार की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें लोगों का शासन होगा। स्वराज की उनकी अवधारणा का सार यह था कि सत्ता लोगों के हाथों में होनी चाहिए। उन्होंने नैतिक अधिकार के आधार पर एक लोकतांत्रिक राज्य का लक्ष्य रखा। उन्होंने जोर देकर कहा कि लोकतंत्र असंभव होगा यदि सत्ता सभी के द्वारा साझा नहीं की जाती। गाँधी अब्राहम लिंकन के 'लोगों की, लोगों के द्वारा लोगों के लिए सरकार' लोकतंत्र की अवधारणा से प्रभावित थे। गाँधी ने कहा कि लोकतंत्र के तहत व्यक्तिगत राय और गतिविधि की स्वतंत्रता की जमकर रक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एक लोकतांत्रिक व्यक्ति को पूरी तरह से निस्वार्थ होना चाहिए और उसे स्वयं के बारे में या पार्टी के बारे में नहीं बल्कि सिर्फ लोकतंत्र के बारे में सोचना चाहिए। वे चाहते थे कि लोकतंत्र में विचारों का स्वस्थ और ईमानदार अंतर हो।

गाँधी ने स्वराज की अवधारणा को एक लोकतांत्रिक विन्यास देने की कोशिश की। उनका मानना था कि देश की सरकार बहुसंख्यक लोगों की इच्छा पर आधारित होनी चाहिए, जिसका वयस्क मताधिकार के माध्यम से पता लगाया जाना चाहिए। ऐसी स्वराज सरकार का चुनाव करने वाले लोगों को राज्य में अपने हाथों श्रम का योगदान देना चाहिए। उनके अनुसार, "स्वराज से मेरा मतलब है कि भारत की सरकार लोगों की सहमति से, जो कि वयस्क आबादी, पुरुष या महिला, मूल रूप से यहीं के या अधिवासित लोगों की सबसे बड़ी संख्या द्वारा पता लगाया गया हो, जिन्होंने अपने हाथों श्रम करके राज्य की सेवा में योगदान

दिया है और जिन्होंने मतदाताओं के रूप में अपना नाम पंजीकृत करने की परेशानी उठाई है।" गाँधी ने सरकार के संसदीय स्वरूप को स्वराज की अवधारणा के तात्कालिक लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया। आधुनिक काल में उनकी स्वराज भारत की संसदीय सरकार थी। उन्होंने तात्कालिक राजनीतिक उद्देश्य के रूप में संसदीय स्वराज का समर्थन किया, लेकिन इसके लिए एक आदर्श के रूप में भी प्रयास किया। मूल रूप से गाँधी बहुमत के शासन को केवल इस हद तक चाहते थे कि इसे सामूहिक सामाजिक इच्छा की अभिव्यक्ति मानी जा सके।

संसदीय लोकतंत्र को सहभागी लोकतंत्र भी होना चाहिए। इसमें सरकार की एक लोकतांत्रिक संरचना शामिल थी जिसमें व्यक्ति के विचार, अभिव्यक्ति की अधिकतम स्वतंत्रता हो और निर्णय लेने और कार्यान्वयन प्रक्रियाओं में भाग ले सके। लोगों को अपने हाथों में राजनीतिक शक्ति को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से सक्षम होना चाहिए ताकि सरकार के हस्तक्षेप को कम करने के लिए स्वशासन स्थापित करने के जबरदस्ती के नियंत्रण से बचा जा सके। गाँधी ने अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा से जनता को अवगत कराते हुए, जमीनी स्तर, स्व-शासन (वास्तविक स्वराज) से एक लोकतांत्रिक संरचना का निर्माण करना चाहते थे।

4.4 आर्थिक स्वराज

गाँधी का मानना था कि भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण खो देने के कारण राजनीतिक नियंत्रण खो दिया था। अपने संपूर्ण ग्रंथ 'हिंद स्वराज' में उन्होंने एक पूरा अध्याय 'भारत क्यों हारा?' को समर्पित किया है। यह अध्याय अंग्रेजों द्वारा भारत की दासता के लिए आर्थिक तर्क देता है। यह आगे चलकर एक अच्छी आर्थिक प्रणाली के लिए गाँधी के दृष्टिकोण को बताता है। गाँधी की स्वराज की अवधारणा में आर्थिक स्वराज भी शामिल था, जो इसकी समग्रता में मानवीय स्थिति से अलग नहीं था। गाँधी के अनुसार राजनीतिक स्वराज आर्थिक स्वराज के बिना काम नहीं करेगा। गाँधी के लिए आर्थिक विकास स्वराज की अवधारणा से संबंधित था। आर्थिक निर्भरता व्यक्तियों या राष्ट्रों को स्वयं (स्वराज) के निर्णय लेने की अनुमति नहीं देती है।

4.4.1 ग्राम विकेंद्रीकरण (ग्राम स्वराज)

गाँधी ने प्रत्येक गांव को एक आत्मनिर्भर इकाई के रूप में देखा। उनका झुकाव कुटीर उद्योगों के विकास की ओर था और न कि बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण के। उन्होंने महसूस किया कि एक विकेन्द्रीकृत अर्थव्यवस्था श्रम और भ्रष्टाचार के शोषण को कम करेगी। उन्होंने हमेशा कहा कि प्रकृति में सभी की आवश्यकता के लिए प्रचूर संसाधन हैं, लेकिन लालच के लिए नहीं। गाँधी का मानना था कि लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए विकेंद्रीकरण आवश्यक था। गाँधी ने कुछ स्थानों पर बड़े पैमाने पर इकाइयों की स्थापना की तुलना में उत्पादन की छोटी इकाइयों के विकेंद्रीकरण को प्राथमिकता दी। वह उत्पादन इकाइयों को लोगों के घरों, विशेषकर गांवों में ले जाना चाहते थे। कुटीर और ग्रामीण उद्योग रोजगार बढ़ाने में मदद करते हैं। वस्तुओं को सस्ते में उत्पादित किया जा सकता है क्योंकि अलग से किसी संयंत्र के स्थापना की कोई आवश्यकता नहीं होती संसाधनों की जरूरत भी कम होती है। स्टोरेज की कोई समस्या नहीं होती। परिवहन लागत नगण्य होती है। कृषि के साथ कुटीर उद्योगों का एकीकरण करने से किसानों को ऑफ सीजन में भी रोजगार मिल जाता है। इससे उनकी ऊर्जा का उपयोग करने में मदद मिलेगी जो अन्यथा बर्बाद हो जाती। वास्तव में, ये उद्योग ग्रामीण जीवन के लिए सबसे उपयुक्त हैं। ये उद्योग गाँवों की आय में वृद्धि करते हैं और उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। गाँधी के

अनुसार इससे गाँवों से गरीबी और बेरोजगारी दूर करने में और उन्हें आत्मनिर्भर आर्थिक इकाइयाँ बनाने में भी मदद मिलेगी।

4.4.2 स्वदेशी और खादी

गाँधी के स्वदेशी की अवधारणा ने स्थानीय उत्पादों को वरीयता दी, भले ही वे निम्न श्रेणी के हों या कहीं और निर्मित चीजों से महंगे हों और साथ ही उन्होंने स्थानीय निर्माताओं की समस्याओं को हल करने का प्रयास किया। गाँधी के स्वदेशी ने सभी विदेशी सामानों को केवल इसलिए अस्वीकार नहीं किया क्योंकि वे विदेशी हैं, और एक देश के विनिर्माण के प्रचार में राष्ट्रीय समय और धन बर्बाद करने के लिए यह अनुकूल नहीं है। यह गलत होगा और स्वदेशी के भावना के खिलाफ होगा। स्वदेशी आर्थिक क्रम में उत्पादों का स्वस्थ आदान-प्रदान होगा और बाजार की ताकतों के खेल के माध्यम से गला काटने की प्रतियोगिता नहीं होगी। विदेशी वस्तुओं के संबंध में उन्होंने जो मार्गदर्शक सिद्धांत रखा, वह यह था कि उन चीजों को आयात नहीं किया जाना चाहिए जो स्वदेशी उद्योग के हितों के लिए हानिकारक साबित हो।

गाँधी ने समाज के लिए अपने व्यावहारिक अनुप्रयोग में खादी को स्वदेशी के सिद्धांत के आवश्यक और सबसे महत्वपूर्ण आधार के रूप में पाया। गाँधी ने खादी उद्योग के विकास के महत्व पर बल दिया। गाँधी के लिए, खादी अपनी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता और स्वराज की भारतीय मानवता की एकता का प्रतीक थी। उनका मानना था कि खादी उद्योग के विकास से लाखों लोग भूख और गरीबी से बचेंगे। गाँधी ने चरखे के इस्तेमाल की वकालत की और चरखा को अहिंसा का प्रतीक माना। उनका नारा था 'चरखा चलाकर स्वराज'।

4.4.3 सरपरस्ती

गाँधी के लिए आर्थिक स्वराज का मतलब एक समतावादी समाज भी था जो आगे चलकर लोकतंत्र (राजनीतिक स्वराज) का कारण होगा। वह कुछ के हाथों में बहुत ज्यादा के विचार के खिलाफ थे। अमीरों को समाज का सरपरस्त होना चाहिए और दलितों के कल्याण के लिए अपने संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। इसमें उनके विचारों में मार्क्सवादी भावना झलकती है। ट्रस्टीशिप समाज के वर्तमान पूंजीवादी स्वरूप को एक समतावादी स्वरूप में बदलने का एक साधन प्रदान करता है। यह पूंजीवाद को कोई महत्व नहीं देता है, लेकिन वर्तमान निर्माता/मालिक वर्ग को खुद को सुधारने का मौका देता है। यह इस विश्वास पर आधारित है कि मानव स्वभाव कभी भी आजादी से परे नहीं होता। समाज कल्याण के लिए अनुमत राशि को छोड़कर यह संपत्ति के निजी स्वामित्व के किसी भी अधिकार को मान्यता नहीं देता। यह जीने के लिए एक न्यूनतम मजदूरी तय करने का प्रस्ताव देता है, इस न्यूनतम मजदूरी की सीमा समाज के किसी भी व्यक्ति के अधिकतम आय के अनुसार तय की जानी चाहिए। ऐसे न्यूनतम और अधिकतम आय के बीच का अंतर उचित और न्यायसंगत होना चाहिए और समय-समय पर अलग-अलग होना चाहिए ताकि प्रवृत्ति ऐसे अंतर के उन्मूलन की ओर हो।

4.4.4 आजीविका और श्रम

गाँधी टी.एम. बोंडारेफ के आजीविका और श्रम के कानून से प्रभावित थे जिसे रस्किन और टॉलस्टॉय ने भी प्रतिपादित किया था। यह कानून इस बात पर जोर देता है कि मनुष्य को अपने श्रम (काम) से रोटी (जीविका) अर्जित करनी चाहिए। अगर सभी लोग अपनी रोटी के लिए श्रम करते हैं, तो सभी के लिए पर्याप्त भोजन और कपड़े होंगे, वे स्वस्थ और खुश

रहेंगे, और भोजन की कमी, कोई बीमारी और कोई दुख नहीं होगा। उनका दृढ़ विश्वास था कि शारीरिक श्रम के बिना कोई भी भोजन पाने का हकदार नहीं है। उन्होंने अमीरों को आजीविका कमाने के लिए शारीरिक श्रम करने की भी सलाह दी।

गाँधी की आर्थिक स्वराज की अवधारणा व्यक्ति और समाज दोनों के द्वारा आत्म-नियंत्रण और आत्म संयम पर आधारित थी। वह उपभोक्तावाद और लोगों द्वारा धन को इकट्ठा करना के खिलाफ थे, ये सब उन्होंने तब बताया जब लोगों ने आत्म-नियंत्रण का अभ्यास किया और अपनी इच्छाओं और जरूरतों को नियंत्रित किया। व्यक्ति द्वारा एक इकाई और समाज के रूप में सामूहिक रूप से आत्म-नियंत्रण भी स्वराज या आत्म-नियंत्रण की एक प्रमुख अवधारणा थी।

4.5 सामाजिक स्वराज

सामाजिक स्वराज के बारे में बताते हुए गाँधी सामाजिक अस्तित्व की एक ऐसी स्थिति चाहते थे, जहां प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म, जाति, पंथ, लिंग, जन्म स्थान, निवास या खानदान की परवाह किए बिना समान सामाजिक स्थिति का आनंद ले सके। इस प्रकार, समाज किसी भी कृत्रिम और मानव निर्मित भेदों से रहित एक एकीकृत समुदाय होगा। यह सामाजिक समानता, स्थिति की समानता और अपने सभी सदस्यों की समान गरिमा और प्राकृतिक और मानव निर्मित भेदों की परवाह किए बिना समान भावना से प्रेरित समाज होगा।

4.6 आत्म नियंत्रण के रूप में स्वराज

गाँधी ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण बताया। उनके अनुसार स्वराज का अर्थ वास्तव में आत्म-नियंत्रण है। केवल वही व्यक्ति आत्म-नियंत्रण में सक्षम होता है जो नैतिकता के नियमों का पालन करता है, धोखा नहीं देता या सत्य के साथ रहता है, और अपने माता-पिता, पत्नी और बच्चों, नौकरों और पड़ोसियों के प्रति अपना कर्तव्य निभाता है। ऐसा व्यक्ति सही मायने में स्वराज का आनंद ले सकता है और एक राष्ट्र स्वराज का आनंद लेता है अगर ऐसे अच्छे नागरिकों की संख्या बहुतायत में हो। एक स्वराजवादी व्यक्ति को सत्य, अहिंसा, चोरी नहीं करना, संपत्ति का त्याग, ब्रह्मचर्य, निर्भयता, शारीरिक श्रम, भोजन के प्रति कम आकर्षण, स्वदेशी का उपयोग, सभी धर्मों के लिए समान सम्मान और अस्पृश्यता उन्मूलन जैसी ग्यारह प्रतिज्ञाओं का पालन करना होगा। गाँधी व्यक्ति को एक इकाई मानते थे और अस्पृश्यता का विरोध करते थे।

गाँधी का मानना था कि स्वराज या सच्ची स्वतंत्रता नैतिक कानून, आंतरिक विवेक और सत्य होने के कानून के अनुरूप है। यह एक व्यक्ति को अच्छे की तलाश करने और उसे पाने के लिए प्रेरित करता है। स्वतंत्रता का अर्थ है आत्म-नियंत्रण, स्वयं पर विजय जो निडर होकर ही प्राप्त की जा सकती है। इसमें कठोर अनुशासन शामिल है और इसके लिए आवश्यक है कि व्यक्ति आत्म-शुद्धि और आत्म-साक्षात्कार की प्रतिज्ञा का पालन करे। यह समाज में दिन-प्रतिदिन सक्रिय भागीदारी के माध्यम से है जिससे व्यक्ति पूर्णता या मोक्ष प्राप्त करता है। गाँधी ने मनुष्य को पाशविकता से अलग करने के लिए आवश्यक नैतिकता को प्राप्त करने के लिए एक एकीकृत जीवन में इच्छाओं को तर्कसंगत और संश्लेषित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। स्वराज का एक और निहितार्थ नैतिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता या 'अनासक्ति' है जो इच्छाशक्ति और ऊर्जा की एकाग्रता के परिणामस्वरूप आता है। यह सबसे महत्वपूर्ण सबक था जो गाँधी ने 'भगवद गीता' से सीखा था।

स्वराज्य या आत्म-नियंत्रण के रूप में स्वराज का अर्थ तीन प्रकार से है पहला, स्वतंत्रता मुख्य रूप से व्यक्तिगत है, न कि सामूहिक गुण। दूसरा, इसमें प्रेस, बोलने, संघ और धर्म की पारंपरिक नागरिक स्वतंत्रता शामिल हैं और तीसरा, यह स्वतंत्रता के आंतरिक और बाहरी रूपों के बीच अंतर करता है, आंतरिक स्वतंत्रता बाहरी स्वतंत्रता को बनाए रखती है। गाँधी के लिए, व्यक्ति स्वराज का स्तंभ है, लेकिन इसका मतलब व्यक्तिवाद नहीं है बल्कि इसका तात्पर्य है, जैसा कि टी. एच. ग्रीन द्वारा समझाया गया है, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक संयम के बीच का एक संतुलन है। उन्होंने अनुशासन, स्वैच्छिक निष्ठा और एकजुटता और आंतरिक स्वतंत्रता के गुणों का पालन करने वाले व्यक्तियों पर जोर दिया क्योंकि यह चरित्र और आचरण का उदाहरण सुनिश्चित करेगा। उन्होंने लगातार इस बात पर जोर दिया कि निष्क्रिय और कमजोर लोग कभी भी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर पाएंगे और व्यक्तिगत चेतना ही लोगों को सभी प्रकार के बंधन से बाहर निकाल देगी। गाँधी ने कमजोरी, कायरता और भय को मानवीय भावना के विरुद्ध पाप माना। उन्होंने भारतीयों को निडरता की भावना सिखाई। आत्म-नियम, आत्म-संयम, आत्म-अनुशासन और स्वैच्छिक आत्म-त्याग ने व्यक्तिगत स्वायत्तता और नैतिक आत्म-निर्णय की धारणाओं में निहित किया जो उनके स्वराज का आधार था। ''जब गाँधी ने स्वराज (स्व-शासन) के राजनीतिक लक्ष्य का पीछा किया, तो उनका मतलब खुद को और भारतीयों को सिखाना था, जो केवल आत्म-संयम के अर्थ में खुद पर शासन कर सकते थे, अपने राजनीतिक ब्रह्मांड को नियंत्रित करने के अर्थ में खुद पर शासन कर सकते थे।''

गाँधी ने स्वराज और स्वदेशी या आत्मनिर्भरता के बीच अंतरंग संबंध देखा। गाँधी के लिए, स्वतंत्रता मानव स्वभाव में निहित है और आत्म-प्रयास के माध्यम से अर्जित आत्म-जागरूकता का हिस्सा होने का दावा किया जाता है और इसके अलावा, मानव स्वतंत्रता के लिए कोई भी बाहरी खतरा किसी के नियंत्रण से बाहर परिस्थितियों से नहीं बल्कि हमारी कमजोरियों को पहचानकर उत्पन्न होता है, इसीलिए उन्होंने स्व-शुद्धि को स्वराज की अवधारणा का अभिन्न अंग माना। यह व्यक्तियों को समाज और राजनीति में एक व्यावहारिक वास्तविकता में स्वतंत्रता की अमूर्त धारणा को समझने की शक्ति और क्षमता प्रदान करता है। गाँधी के अनुसार, एक व्यक्ति वास्तव में स्वतंत्रता का एहसास करता है यदि वह अपनी अंतरात्मा की आवाज या आंतरिक आवाज सुनता है। निडरता, स्व-शासन, आत्म-संयम, आत्म-अनुशासन, गैर-लगाव, त्याग और स्वैच्छिक स्व-बलिदान बुराई के प्रतिरोध को आसान बना देगा और यही 'सत्याग्रह' के दर्शन का मूल रूप है। गाँधी ने सत्याग्रह को बहादुर और निडर का कार्य बताया और इसके माध्यम से, "गाँधी ने साहस की अंग्रेजी परिभाषा पर नैतिक तालिकाओं को बदल दिया, यह सुझाव देकर कि आक्रामकता आत्म-नियंत्रण, अहिंसक प्रतिरोध के बिना उन लोगों की निपुणता का मार्ग है जो इन्हें नियंत्रण में रखते हैं।

4.7 सारांश

स्वराज के अर्थ की यह विस्तृत व्याख्या और स्वराज के तीन स्तंभ गाँधी के संपूर्ण राजनीतिक दर्शन और कार्रवाई का सार है। बड़ी बहुलता की स्थिति में एकता के लिए अत्यंत आवश्यकता पर बल देना और दो भारत की बड़ी जागरूकता के साथ, एक शहर में और दूसरा गांव में जो गरीबी को अस्वीकार करता है, ने उन्हें भारतीय वास्तविकता के अधिक यथार्थवादी चित्रण को चित्रित करने की अनुमति दी, जो समाजवादियों और मार्क्सवादियों के चित्रण के प्रयास से बेहतर है। स्वराज की अवधारणा को जीवन और अर्थ देने के लिए, गाँधी के रचनात्मक कार्यक्रम का निर्माण सर्वोच्च महत्व का है। यह हर एक भारतीय के आत्म-विकास के लिए आवश्यक न्यूनतम संसाधनों और पर्यावरण को सुनिश्चित

करने के लिए और स्वराज के लक्ष्य तक पहुँचने के साधन के रूप में उनके सिद्धांतों की आवश्यक सुधारवादी प्रकृति को चित्रित करता है।

गाँधी ने अंग्रेजी शब्द independence या freedom के बजाय 'स्वराज' शब्द का उपयोग किया। गाँधी के अनुसार स्वराज का अर्थ सिर्फ राजनैतिक स्वराज या स्वतंत्रता नहीं थी बल्कि स्वराज एक समावेशी अवधारणा है - राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और नैतिक - यह जोर देकर कहा जा सकता है कि मनुष्य के यथासंभव पूर्ण होने की आवश्यकता है। गाँधी ने स्वराज शब्द वेदों से लिया है। स्वराज का एक अर्थ स्व-शासन और आत्म-नियंत्रण है और इसके अंग्रेजी उपयोग से अलग है, जिसका अर्थ है बिना किसी बाधा के स्वतंत्रता। गाँधी के लिए स्वराज का मतलब सकारात्मक स्वतंत्रता भी था, जिसमें हर संभव तरीके से राजनीति की प्रक्रिया में भाग लेना था। इसका तात्पर्य सहभागी लोकतंत्र से है क्योंकि नागरिक और राज्य के बीच अंतरंग संबंध मौजूद होते हैं। बहुसंख्यक क्षतिपूर्ति के लिए गाँधी की चिंता ने उन्हें अपने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दर्शन के केंद्र में, गाँव पर अपना ध्यान केंद्रित करने के साथ ग्राम विकेंद्रीकरण या ग्राम स्वराज की धारणा को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया।

4.8 अभ्यास प्रश्न

1) गाँधी की स्वराज की अवधारणा का उल्लेख करें।

2) स्व-शासन के रूप में स्वराज से गाँधी का क्या तात्पर्य है?

3) गाँधी के राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक स्वराज का उल्लेख करें।

5) गाँधी के स्वराज को आत्म-नियंत्रण के रूप में व्याख्या करें।

4.9 संदर्भ

बंध्योपाध्याय, जे., *सोशल एण्ड पॉलिटिकल थौट ऑफ गाँधी*, बॉम्बे, अलाईड पब्लिशर्स, 1969

भट्टाचार्य, बी., *इवॉल्यूशन ऑफ द पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ गाँधी*, कलकत्ता, कलकत्ता बुक हाउस, 1969

बौन्दुरेन्त, जे.वी., *कंकेस्ट ऑफ वॉयलेंस : गाँधीयन फिलोसफी ऑफ कन्फ्लिक्ट*, बर्कली युनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, 1969

बोस, एन.के., *स्टडीज इन गाँधीयन*, अहमदाबाद नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, 1972

चटर्जी, एम., *गाँधीज रिलिजियस थौट*, लन्दन, मैकमिलन, 1983

चटर्जी, पी., *नैशनलिस्ट थौट एण्ड द कोलोनियल वर्ल्ड : ए डेरिवेटिव डिस्कोर्स*, देहली, ऑफक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रस, 1986

डाल्टन, डी., इण्डियाज आइडिया ऑफ फ्रीडम, गुड़गाँव, एकेदमिक प्रैस, 1982

हास्कर, वी., ''रॉल्स एण्ड गाँधी ऑन सिविल डिसओबिडिएंस'', *इंक्वायरी*, 1976

अय्यर, आर.एन., *द मोरल एण्ड पॉलिटिकल थौट ऑफ गाँधी*, बॉम्बे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1973

कोल्गे, निशिकान्त एण्ड एन. श्रीकुमार, ''टूवर्ड्स ए कम्प्रीहेंसिव अण्डरस्टैण्डिंग ऑफ गाँधीज कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज : सम क्रिटिकल थौट्स चउ पर्लज़ रीटिंग ऑफ स्वराज'', *रिसर्च गेट,* मई, 2010 https://www.researchgate.net/publication/280082549_Towards_a_Comprehensive_Understanding_of_Gandhi's_ Concept_of_Swaraj_Some_Critical_Thoughts_on_Parel's_Reading_of_Swaraj

पैंथम, टी. एण्ड ड्यूच, के., (ऐडिटेड) *पॉलिटिकल थौट इन मॉर्डन इण्डिया,* न्यू देहली, सेज पब्लिकेशंस, 1986

पारेख, बी., *गाँधीज पॉलिटिकल फिलोसफी,* नोट्रे डेम, नोट्रे डेम यूनिवर्सिटी प्रेस, 1989

रे, आलोक कुमार, 'स्वराज : द गाँधीयन विजन', *ओडीशा रिव्यू,* अगस्त, 2015 http://magazines.odisha.gov.in/Orissareview/2015/August/engpdf/5-9.pdf.

रडोल्फ, एल., एण्ड रडोल्फ, एस., *द मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन,* चिकागो यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागो प्रेस, 1967

शैले, क्रीति, 'इकोनॉमिक आइडियाज ऑफ महात्मा गाँधी', *इकोनॉमिक डिस्कशन, एन.डी.*

http://www.economicsdiscussion.net/articles/economic-ideas-of-mahatma-gandhi/21133.

शर्मा, नरेश कुमार, ''रिफ्लेशन्स ऑन गाँधीज इकोनॉमिक आइडियाज'', *महात्मा गाँधी,* दिसम्बर, 2010 https://www.mkgandhi.org/articles/gandhi's-economic-ideas.html.

शिया, ''ऐस्से ऑन गाँधीज व्यूज ऑफन स्वराज'', *प्रिजर्व आर्टिकल,* एन.डी.http://www.preservearticles.com/201106238412/gandhi-and-swaraj.html.

वूडकॉक, जी., *मोहनदास गाँधी,* न्यू यॉर्क, फोन्ताना, 1971

इकाई 5 स्वदेशी

संरचना

5.1 प्रस्तावना

लक्ष्य एवं उद्देश्य

5.2 स्वदेशी : आत्म-निर्भरता

5.3 स्वदेशी : आर्थिक दर्शन

5.4 ग्रामीण अर्थव्यवस्था

5.5 स्वदेशी आंदोलन

5.6 खादी : आर्थिक निर्भरता का प्रतीक

5.7 स्वदेशी : एक धार्मिक विचार

5.8 सारांश

5.9 अभ्यास प्रश्न

5.10 संदर्भ ग्रंथ

5.1 प्रस्तावना

'स्वदेशी' शब्द संस्कृत से लिया गया है और यह दो संस्कृत शब्दों की संधि या संयोजन है। 'स्व' का अर्थ है 'स्वयं' या अपना और 'देश' का अर्थ है देश, इसलिए 'स्वदेश' का अर्थ है 'स्वयं का देश', और स्वदेशी, जो इसका विशेषण रूप है, उसका अर्थ है 'स्वयं के देश का'। संस्कृत में 'स्वदेशी' का विपरीत 'विदेशी' या 'किसी दूसरे देश का' है। स्वदेशी शब्द के गाँधी के विचारों में कई अर्थ थे - आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक। यह गाँधी के दर्शन का केंद्र है, जिसका वास्तव में अर्थ आत्मनिर्भरता है।

स्वदेशी भारत में अंग्रेजों के खिलाफ गाँधी के आंदोलन के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक था। उन्होंने प्रचार किया कि आर्थिक स्वराज राजनीतिक स्वराज के लिए आवश्यक है। गाँधी का मानना था कि भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण खो देने के कारण राजनीतिक नियंत्रण खो दिया था। अपने 'हिंद स्वराज' में उन्होंने एक पूरा अध्याय 'भारत क्यों हारा?' को समर्पित किया है। यह अध्याय अंग्रेजों द्वारा भारत की दासता के लिए आर्थिक तर्क देता है। यह आगे चलकर एक अच्छी आर्थिक प्रणाली के लिए गाँधी के दृष्टिकोण को बताता है। गाँधी की स्वराज की अवधारणा में आर्थिक स्वराज भी शामिल था, जो इसकी समग्रता में मानवीय स्थिति से अलग नहीं था। गाँधी के लिए राजनीतिक स्वराज आर्थिक स्वराज लाए बिना काम नहीं करेगा। गाँधी के लिए आर्थिक विकास स्वराज की अवधारणा से संबंधित था। आर्थिक निर्भरता व्यक्तियों या राष्ट्रों को स्वयं के लिए निर्णय लेने की अनुमति नहीं देती है (स्वराज)।

स्वदेशी ने एक आंदोलन के रूप में वस्तुओं के घरेलू उत्पादन और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को प्रोत्साहित किया। राजनीतिक अर्थ में इसने स्वदेशी संस्थाओं का बचाव किया। धर्म में इसका मतलब किसी के पैतृक धर्म और परंपराओं का संरक्षण करना है। गाँधी इन क्षेत्रों से सभी अच्छाईयों को रखने और बुराईयों को दूर करने के पक्ष में थे। भारत

प्रो बी कृष्णमूर्ति, आचार्य, पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी एवं सुरुचि अग्रवाल, शोधार्थी, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली–25

की आत्मा का पुनरोद्धार राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक था। इसमें गाँधी स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद के विचारों से पूरी तरह प्रेरित थे।

गाँधी ने माना कि आर्थिक और औद्योगिक जीवन में स्वदेशी को बर्बाद करने के कारण लोगों में बहुत गरीबी आ गई थी। स्वदेशी की भावना में, गाँधी का अर्थव्यवस्था का विचार स्वावलंबी और आत्म-निहित है। स्वदेशी, एक रणनीति के रूप में, गाँधी का एक प्रमुख केंद्र बिंदु था और उन्होंने इसे स्वराज (आत्म-शासन) की आत्मा के रूप में वर्णित किया। स्वदेशी एक अवधारणा थी जो औपनिवेशिक ब्रिटिश भारत के खिलाफ एक राष्ट्र बनाने की तलाश में थी। स्वदेशी ने क्षेत्र, अर्थव्यवस्था और संस्कृति को राष्ट्रीय अर्थ दिया। स्वदेशी आंदोलन पूरे भारत में चला और शहरों और गांवों में महिलाओं को आयातित सामग्री से बनी अपनी साड़ियों को जलाने और अपनी प्यारी कांच की चूड़ियों को तोड़ना क्योंकि वे ब्रिटेन में निर्मित थे, यह एक आम दृश्य था। इसी ज्वाला ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंत की नींव रखी।

स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटेन से भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता समाप्त करके स्वराज हासिल करना था। यह इकाई गाँधी के स्वदेशी के विचार और समकालीन दुनिया में इसकी प्रासंगिकता के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करती है। समकालीन दुनिया आज बाजार-केंद्रित, लालची है और सब कुछ व्यवसायिक है। वैश्वीकरण के समय में, स्वदेशी का दर्शन किसी की अपनी अर्थव्यवस्था और पहचान की रक्षा करने में प्रेरणादायक है।

लक्ष्य एवं उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप समझ पाएंगे :

- गाँधी की स्वदेशी की अवधारणा और अर्थ
- आर्थिक दर्शन के रूप में स्वदेशी का अर्थ
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के साधन के रूप में स्वदेशी
- आर्थिक आत्मनिर्भरता के प्रतीक के रूप में खादी
- धार्मिक अवधारणा के रूप में स्वदेशी

5.2 स्वदेशी : आत्म-निर्भरता (मूल जीवन की रक्षा में)

आमतौर पर, गाँधीवादी दर्शन में स्वदेशी के विचार का अर्थ है स्थानीय आत्मनिर्भरता और स्थानीय ज्ञान और क्षमताओं का उपयोग। स्वदेशी (आत्मनिर्भरता) को मुख्य रूप से एक संरक्षणवादी तकनीक से समझा जाता है, जिसे गाँधी ने अंग्रेजों की व्यापारिक नीतियों के विरुद्ध नियोजित किया था, जिसके तहत जनता से भारत के बाहर निर्मित कपड़े से परहेज करने की अपील की गई थी, और इसके बजाय भारत में बने सूती, रेशमी या ऊनी कपड़े का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन गाँधी इसे एक व्यापक अर्थ देते हैं स्वदेशी का महान और गहरा अर्थ है। इसका मतलब यह नहीं है कि सिर्फ अपने देश में बने सामान का उपयोग किया जाए। स्वदेशी का एक अर्थ यह अवश्य है, लेकिन इसमें एक और अर्थ निहित है जो कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। स्वदेशी का अर्थ है अपने बल पर निर्भरता। हमारे अपने बल पर निर्भरता का मतलब हमारे शरीर, हमारे दिमाग और हमारी आत्मा की ताकत है।

गाँधी का मानना था कि अलगाव और शोषण अक्सर तब होता है जब उत्पादन और खपत उनके सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ से दूर हो जाते हैं, और यह कि स्थानीय उद्यम इन समस्याओं से बचने का एक सुलभ तरीका है। भारत की जीवन शक्ति को नवीनीकृत करने

और अपनी संस्कृति को पुनः स्थापित करने के लिए, गाँधी के पास स्वतंत्र भारत की दृष्टि थी जो एक राष्ट्र नहीं बल्कि ग्राम समुदायों में रहने वाले स्वशासित, आत्मनिर्भर, स्व-नियोजित लोगों का एक संघ था, जहाँ से वे स्व निर्मित उत्पादों से अपनी सही आजीविका प्राप्त कर रहे हों। अधिकतम आर्थिक और राजनीतिक शक्ति गाँव की विधानसभाओं के हाथों में होगा - जिसमें यह तय करने की शक्ति हो कि गाँव से क्या आयात या निर्यात किया जा सकता है। गाँधी का मानना था कि भारत में, लोग अपने परिवेश के सापेक्ष सौहार्दपूर्ण जीवन में हजारों वर्षों से रहते हैं जैसे, अपने घर-गृहस्थी में रहना, घर के कपड़े पहनना, घर का बना खाना खाना, घर के बने सामानों का उपयोग करना अपने जानवरों, जंगलों और भूमि की देखभाल करना दावत के साथ मिट्टी की उर्वरता का जश्न महान महाकाव्यों की कहानियों का प्रदर्शन, और मंदिरों का निर्माण। स्वदेशी की अवधारणा के बचाव में गाँधी ने कहा कि, ''हालांकि यह समावेशी है और हर दूसरे देश के बहिष्कार के लिए भारत की सेवा करता है, यह निश्चित रूप से प्रकृति में प्रतिस्पर्धी या विरोधी नहीं है।''

5.3 स्वदेशी : आर्थिक दर्शन

गाँधी का स्वदेशी एक आर्थिक सिद्धांत है। यह न केवल स्व-निर्भरता और स्वदेशी कौशल और ज्ञान प्रणाली का उपयोग, बल्कि सरल जीवन और सबकी गरिमा की भी बात करता है। वैश्वीकरण, बाजार-उन्मुख और व्यावसायिक जीवन के समय में, स्वदेशी की समकालीन प्रासंगिकता है। स्वदेशी के बारे में गाँधी का विचार स्वदेशी कौशल और इसकी उत्पादकता के महत्व के बारे में है। उनका मानना था कि स्वदेशी आत्मनिर्भरता और स्वशासन (स्वराज) को साकार करने में सहायक है। इस अर्थ में उनकी आध्यात्मिकता की राजनीति ने न केवल भौतिक उत्पादन और श्रम के सार को आंतरिक रूप दिया है, बल्कि यह भी साबित होता है कि वह एक व्यावहारिक दार्शनिक हैं। स्वदेशी के आर्थिक दर्शन की प्रथा का सीधा प्रभाव ब्रिटिश साम्राज्य और उसकी अर्थव्यवस्था पर पड़ा।

गाँधी केवल स्वदेशी आंदोलन के विचारों के प्रस्ताव पर ही नहीं रुके, बल्कि दिन-प्रतिदिन रहने वाले - खादी, ग्राम विकेंद्रीकरण, ट्रस्टीशिप, रोटी और श्रम आदि के लिए व्यावहारिक विचारों का पालन किया। ऐसा नहीं है कि गाँधी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के खिलाफ थे। उन्होंने स्वीकार किया कि केवल भारत में निर्मित वस्तुओं के उपयोग की सीमाएँ हो सकती हैं। उनका विचार था कि विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का मतलब हर चीज को त्यागना नहीं है। उन्होंने खुद स्वीकार किया कि उन्होंने दुनिया भर से उपयोगी और स्वस्थ साहित्य खरीदा। उन्होंने इस बात पर सहमति जताई कि इंग्लैंड में बनाए गए सर्जिकल उपकरणों की आवश्यकता थी, इसी तरह ऑस्ट्रिया से पिन और पेंसिल और स्विट्जरलैंड से घड़ी। फिर भी, वह कभी भी इंग्लैंड या जापान से सूती कपड़े नहीं खरीदेंगे। जो कुछ भी भारत में उत्पादित होता है और भारतीयों द्वारा उपभोग किया जाता है वह भारत के लोगों को लाभान्वित करता है। गाँधी ने कहा, "शारीरिक आराम एक हद तक आवश्यक है लेकिन एक निश्चित स्तर से ऊपर यह मदद करने के बजाय बाधा बन जाती है; इसलिए असीमित संख्या में चाहत और उन्हें संतुष्ट करने का आदर्श, एक भ्रम और जाल प्रतीत होता है। किसी व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि एक निश्चित पड़ाव पर आनी चाहिए, इससे पहले कि वह शारीरिक पतन में बदल जाए।"

5.4 ग्रामीण अर्थव्यवस्था

अंग्रेजों ने उत्पादन के केंद्रीकृत, औद्योगिक और मशीनीकृत तरीकों पर विश्वास किया। दूसरी ओर गाँधी उत्पादन के विकेंद्रीकृत, घर का बना, हाथ से बने में विश्वास करते थे।

उन्होंने कहा, 'बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं, बल्कि जनता द्वारा उत्पादन।' बड़े पैमाने पर उत्पादन केवल उत्पाद के साथ संबंधित है, जबकि जनता द्वारा उत्पादन उत्पाद, उत्पादकों और प्रक्रिया के साथ संबंधित होता है। गाँधी की स्वदेशी अर्थव्यवस्था में, गाँव की अर्थव्यवस्था और स्थानीय उद्योग (कुटीर उद्योग) ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने ग्राम समुदाय की आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा। स्वदेशी के अपने सिद्धांत के अनुसार, गाँव में जो कुछ भी बनाया जाता है या उत्पादित किया जाता है, उसे गाँव के सदस्यों द्वारा सबसे पहले इस्तेमाल किया जाना चाहिए। स्वदेशी का मतलब बाहरी बाजार ताकतों पर आर्थिक निर्भरता से बचना था जो गाँव के समुदाय को कमजोर बना देती थी। इसका मतलब अनावश्यक, अस्वास्थ्यकर, फिजूलखर्ची और पर्यावरण की दृष्टि से विनाशकारी उत्पादन के तरीके से बचना भी था। गाँव को अपनी अधिकांश जरूरतों को पूरा करने के लिए एक मजबूत आर्थिक आधार का निर्माण करना चाहिए, और ग्राम समुदाय के सभी सदस्यों को स्थानीय वस्तुओं और सेवाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। स्वतंत्र भारत के प्रत्येक गाँव में अपने स्वयं के बढ़ई, मोची, कुम्हार, बिल्डर, यांत्रिकी, किसान, इंजीनियर, बुनकर, शिक्षक, बैंकर, व्यापारी, संगीतकार, कलाकार और पुजारी होने चाहिए। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक गाँव को भारत का एक सूक्ष्म जगत होना चाहिए- शिथिल अंतर से जुड़े समुदायों का एक जाल। गाँधी इन गाँवों को इतना महत्वपूर्ण मानते थे कि उन्हें लगता था कि इसे गाँव का गणतंत्र कहा जाना चाहिए। उनके अनुसार ग्राम समुदाय को प्रतिस्पर्धा करने वाले व्यक्तियों के समूह के बजाय परिवार का विस्तार होना चाहिए। गाँधी का सपना व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता का नहीं था, परिवार की आत्मनिर्भरता का भी नहीं, बल्कि ग्राम समुदाय की आत्मनिर्भरता का था।

गाँधी ने प्रत्येक गांव को एक आत्मनिर्भर इकाई के रूप में देखा। उनका झुकाव कुटीर उद्योगों के विकास की ओर था और न कि बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण के। उन्होंने महसूस किया कि एक विकेन्द्रीकृत अर्थव्यवस्था श्रम और भ्रष्टाचार के शोषण को कम करेगी। उन्होंने हमेशा कहा कि प्रकृति में सभी के उपभोग के लिए प्रचुर संसाधन हैं, लेकिन हर किसी के लालच के लिए नहीं। गाँधी का मानना था कि लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए विकेंद्रीकरण आवश्यक था। गाँधी ने कुछ स्थानों पर बड़ी इकाइयों की स्थापना की तुलना में उत्पादन की छोटी इकाइयों के विकेंद्रीकरण को प्राथमिकता दी। वह उत्पादन इकाइयों को जनता के घरों, विशेषकर गांवों में ले जाना चाहते थे। कुटीर और ग्रामोद्योग रोजगार बढ़ाने में मदद करते हैं। वस्तुओं को सस्ते में उत्पादित किया जा सकता है क्योंकि अलग से स्थापना की कोई आवश्यकता नहीं है बहुत कम संसाधनों की जरूरत होती है। स्टोरेज की कोई समस्या नहीं होती। परिवहन लागत नगण्य होती है। कृषि के साथ कुटीर उद्योगों का एकीकरण किसानों को ऑफ सीजन के समय में काम प्रदान करता है। इससे उनकी सभी ऊर्जाओं का उपयोग करने में मदद मिलती है जो अन्यथा बर्बाद हो जाती। वास्तव में, ये उद्योग ग्रामीण जीवन के लिए सबसे उपयुक्त हैं। ये उद्योग गाँवों की आय में वृद्धि करते हैं और उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। गाँधी के अनुसार इससे गाँवों से गरीबी और बेरोजगारी दूर करने में मदद मिलेगी और वे आत्मनिर्भर आर्थिक इकाइयाँ भी बनेंगी।

गाँधी चाहते थे कि लोग जनता द्वारा उत्पादन के सिद्धांत को अपनाएं, क्योंकि इस पद्धति के माध्यम से ग्राम समुदाय मानव हाथों द्वारा किए गए कार्यों की गरिमा को बहाल करने में सक्षम होंगे। हम अपने हाथों से जो कुछ भी करते हैं उसमें एक आंतरिक मूल्य होता है, और मशीनों को काम सौंपने में हम न केवल भौतिक लाभ बल्कि आध्यात्मिक लाभ भी खो देते हैं, क्योंकि काम के लिए यह एक ध्यानपूर्ण मन और आत्म-पूर्ति करता है। गाँधी का मानना था कि कृत्रिम मशीनरी के निरंतर उपयोग से लोग अपने हाथों का उपयोग भूल

जाएंगे। वे कमजोर हो जाएंगे और इन मशीनों पर निर्भर हो जाएंगे और यह एक गंभीर त्रासदी होगी।

गाँधी दृढ़ता से मानते थे कि स्थानीय रूप से आधारित अर्थव्यवस्था सामुदायिक भावना, सामुदायिक संबंधों और सामुदायिक कल्याण को बढ़ाएगी। ऐसी अर्थव्यवस्था से आपसी सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। बड़े पैमाने पर उत्पादन से लोग अपने गाँव, अपनी जमीन, अपने शिल्प और अपने घर को छोड़कर फैक्ट्रियों में काम करने जाते हैं। आत्मनिर्भर, गरिमामय इंसान और एक स्वाभिमानी ग्राम समुदाय के सदस्य बनने के बजाय, लोग मशीन के यंत्र बन जाते हैं, कन्वेयर बेल्ट पर खड़े होते हैं, झोंपड़पट्टी में रहते हैं, और अपने अमीर नियोक्ताओं की दया पर जीते हैं।

गाँधी के अनुसार, जब प्रत्येक व्यक्ति समुदाय का अभिन्न अंग बन जाता है, जब माल का उत्पादन छोटे पैमाने पर होता है, जब अर्थव्यवस्था स्थानीय होती है और जब घर के हस्तशिल्प को वरीयता दी जाती है, तो यह असली स्वदेशी है। ये परिस्थितियाँ समाज के समग्र, आध्यात्मिक, पारिस्थितिक और साम्यवादी स्वरूप के अनुकूल हैं। ''ग्राम स्वराज (स्व-शासन) के बारे में मेरा विचार यह है कि यह एक पूर्ण गणतंत्र है, जो अपने पड़ोसियों से अपनी महत्वपूर्ण इच्छाओं के लिए स्वतंत्र है, और फिर भी कई अन्य लोगों के लिए अन्योन्याश्रित है, जिसमें निर्भरता एक आवश्यकता है।''

5.5 स्वदेशी आंदोलन

प्रारंभ में स्वदेशी का विचार दादाभाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे और बिपिन चंद्र पाल जैसे शुरुआती राष्ट्रवादियों के लेखन में परिलक्षित हुआ, जो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के खिलाफ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की रक्षा में खड़े थे। स्वदेशी आंदोलन ने बंगाल के विभाजन, 1905 के बाद अपने कट्टरपंथी और जन स्वरूप को ग्रहण किया। 1907 में, स्वदेशी को आधिकारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वैचारिक ढांचे में शामिल किया गया था, जो स्वदेशी और स्वराज के लाभकारी उद्देश्य के रूप में था। बंगाल के विभाजन ने पूरे देश में व्यापक आक्रोश पैदा किया। इस तनावपूर्ण माहौल में लोगों ने विदेशी वस्तुओं और ब्रिटिश संस्थानों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया और इस तरह स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। ऐतिहासिक रूप से स्वदेशी को अन्य श्रेणियों जैसे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, क्षेत्र और संस्कृति से जोड़ा गया था। स्वदेशी का शाब्दिक अर्थ है स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देना। स्वदेशी के साथ, ब्रिटिश सामानों के बहिष्कार का आयोजन किया गया था। स्वदेशी और बहिष्कार विदेशी शासन के खिलाफ निर्देशित शक्तिशाली उपकरण थे। जनता के साथ राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश शासन पर हमला करना चाहा, जहां यह उन्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाएगा। स्वदेशी के बारे में लाजपत राय ने कहा, "मैं इसे अपने देश के उद्धार के रूप में मानता हूं। स्वदेशी आंदोलन ने हमें सिखाया है कि हमारी पूंजी, संसाधनों, श्रम, ऊर्जा, प्रतिभाओं को व्यवस्थित करने के लिए कैसे सभी भारतीयों की सबसे बड़ी भलाई के लिए पंथ, रंग या जाति की परवाह किए बिना हम ऐसा कर सकते हैं। यह हमें, हमारे धार्मिक और सम्प्रदायगत मतभेदों के बावजूद एकजुट करता है। मेरी राय में, स्वदेशी को एकजुट भारत का सामान्य धर्म होना चाहिए।" उन्होंने समझाया कि ब्रिटिश सरकार की प्रतिष्ठा पर बहिष्कार का काफी असर पड़ा।

1909 के गाँधी के हिंद स्वराज में, स्वराज, सत्याग्रह और स्वदेशी प्रमुख सिद्धांत हैं। स्वराज को साकार करने के लिए, गाँधी का मानना था कि स्वदेशी का आदर्श हर मायने में आवश्यक था। गाँधी स्वदेशी को एक और बड़े स्तर तक ले गए और इसे जनता की भीड़ जुटाने के साथ एक शक्तिशाली राजनीतिक आंदोलन बनाया। गाँधी ने स्वदेशी राजनीति का

एक नया रूप बनाया, जिसने 'खादी' के उत्पादन और विशेष खपत को प्रोत्साहित किया। गाँधी का स्वदेशी उपभोक्ताओं के लिए एक आह्वान है कि वे उन विनाशों से अवगत हों, जो उन उद्योगों का समर्थन करते हैं जो गरीबी, श्रमिकों को नुकसान पहुंचाने और मनुष्यों और अन्य प्राणियों के लिए नुकसानदेह हैं। भारतीय राष्ट्रवादियों का मानना था कि भारत के आर्थिक संकट का कारण पूरी तरह से ब्रिटिश उपनिवेश था। स्वदेशी ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करने और भारतीय वस्तुओं को खरीदने के लिए एक राष्ट्रवादी आंदोलन था।

ऐतिहासिक रूप से, भारतीय स्थानीय अर्थव्यवस्था सबसे अधिक उत्पादक और टिकाऊ कृषि और बागवानी और मिट्टी के बर्तनों, फर्नीचर बनाने, धातु के काम, गहने, चमड़े के काम और कई अन्य आर्थिक गतिविधियों पर निर्भर थी। लेकिन इसका आधार पारंपरिक रूप से वस्त्रों में था। प्रत्येक गांव में अपने स्पिनर, कार्डर्स, खरीदार और बुनकर थे जो गांव की अर्थव्यवस्था के दिल थे। हालाँकि, जब भारत लंकाशायर (इंग्लैंड) से मशीन-निर्मित, सस्ती, बड़े पैमाने पर उत्पादित वस्त्रों से भर गया था, तो स्थानीय कपड़ा कलाकारों को तेजी से व्यवसाय से बाहर कर दिया गया था, और गांव की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान हुआ था। गाँधी ने यह जरूरी समझा कि उद्योग को बहाल किया जाए, और ब्रिटिश कपड़े की आमद को रोकने के लिए एक अभियान शुरू किया। उनके प्रयासों के कारण, हजारों अछूतों और हिंदू इंग्लैंड से या शहर के कारखानों से आयात किए गए मिल-निर्मित कपड़ों को त्यागने के लिए एक साथ हो गए और अपने स्वयं के सूत कातने और अपना कपड़ा बुनना सीखा। चरखा आर्थिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और एकजुटता और वर्गहीन समुदायों का प्रतीक बन गया। घर में बनाए गए कपड़े की बुनाई और उसे पहनना सभी सामाजिक समूहों के लिए गरिमा का प्रतीक बन गया।

5.6 खादी : आर्थिक निर्भरता का प्रतीक

स्वदेशी शब्द का ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ भारत के संघर्ष में आर्थिक और राजनीतिक दोनों आयाम थे। गाँधी के लिए, यह हाथ से बुने खद्दर पर केंद्रित था और ग्रामीण जनता द्वारा स्वदेशी रूप से उत्पादित की जा सकने वाली हर चीज तक विस्तारित था। 'खादी' स्वदेशी के प्रतीक के रूप में उभरा। स्वदेशी कार्यकर्ताओं ने विभिन्न रूपों के माध्यम से राष्ट्र के लोगों को खादी का महत्व समझाया। खादी को राष्ट्र की भौतिक कलाकृति के रूप में चित्रित किया गया था, जो एक पारंपरिक उत्पाद है और पारंपरिक साधनों द्वारा निर्मित है। गाँधी के राष्ट्रवादी आंदोलन ने स्वदेशी की समकालीन राजनीति और अर्थशास्त्र के संदर्भ में इसके महत्व को परिभाषित करते हुए खादी को एक संपूर्ण अवधारणा बना दिया। स्वदेशी के प्रचारकों ने प्रभावी ढंग से रोजमर्रा के जीवन की एक सामान्य वस्तु, घर के बने, घर पर बुने हुए कपड़े को भारतीय समुदाय के पूर्ण प्रतीक में बदल दिया। क्षेत्रीय, धार्मिक, जातिगत और वर्गीय पहचान के दृश्य प्रतीकों के संबंध में खादी एक दृश्य प्रतीक बन गई क्योंकि इसने अलग-अलग निकायों को भारतीय रूप में चिह्नित किया है। खादी भारत की संभावित आर्थिक आत्मनिर्भरता और ब्रिटिशों की भारतीयों की गरिमा और उनके बीच एकता का संचार करने का एक प्रभावी माध्यम बन गया।

गाँधी के स्वदेशी की अवधारणा ने स्थानीय उत्पादों को वरीयता दी, भले ही वे अवर श्रेणी के हों या कहीं और निर्मित चीजों से महंगे हों और स्थानीय निर्माताओं की समस्याओं को हल करने का प्रयास किया। गाँधी के स्वदेशी ने सभी विदेशी सामानों को केवल इसलिए अस्वीकार नहीं किया क्योंकि वे विदेशी हैं, और एक देश के विनिर्माण के प्रचार में राष्ट्रीय समय और धन बर्बाद करने के लिए जिसके लिए यह अनुकूल नहीं है। यह गलत होगा और स्वदेशी की भावना के खिलाफ होगा। स्वदेशी आर्थिक क्रम में उत्पादों का स्वस्थ आदान-

प्रदान होगा और बाजार की ताकतों के खेल के माध्यम से गला काटने की प्रतियोगिता नहीं होगी। सभी विदेशी वस्तुओं के संबंध में उन्होंने जो मार्गदर्शक सिद्धांत रखा, वह यह था कि उन चीजों को आयात नहीं किया जाना चाहिए जिसकी स्वदेशी उद्योग के हितों के लिए हानिकारक साबित होने की संभावना थी।

गाँधी ने समाज के लिए अपने व्यावहारिक अनुप्रयोग में खादी को स्वदेशी के सिद्धांत के आवश्यक और सबसे महत्वपूर्ण आधार के रूप में पाया। गाँधी ने खादी उद्योग के विकास के महत्व पर बल दिया। गाँधी के लिए, खादी अपनी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता और स्वराज की भारतीय मानवता की एकता का प्रतीक थी। उनका मानना था कि खादी उद्योग के विकास से लाखों लोग भूख और गरीबी से बचेंगे। गाँधी ने चरखे के इस्तेमाल की वकालत की और चरखा को अहिंसा का प्रतीक माना। उनका नारा था 'चरखा चलाकर स्वराज'।

5.7 स्वदेशी : एक धार्मिक विचार

गाँधी ने स्वदेशी के अपने विचार को धर्म से जोड़ा। उनके अनुसार स्वदेशी उनके दर्शन का सिर्फ आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांत नहीं था। यह उनके अध्यात्म और धर्म के दर्शन से बहुत जुड़ा हुआ था। गाँधी ने आर्थिक स्वदेशी को बदले की वजह से किए गए बहिष्कार आंदोलन के रूप में नहीं, बल्कि एक धार्मिक सिद्धांत के रूप में माना जिसका सभी पालन करें। स्वदेशी, उनका मानना था कि व्यक्तियों को होने वाली शारीरिक परेशानी के बावजूद पूरी श्रद्धा के साथ किया जाने वाला एक धार्मिक सिद्धांत था। स्वदेशी के विचारों के अनुरूप एक व्यक्ति सौ चीजों के बिना करना सीखेगा जिसे आज वह आवश्यक मानता है। गाँधी के अनुसार, धर्म में स्वदेशी गौरवशाली अतीत को मापने और वर्तमान पीढ़ी में इसे फिर से लागू करने के लिए सिखाता है। उन्होंने बताया कि उस समय यूरोप में जो अराजकता चल रही थी, उसने दिखाया कि आधुनिक सभ्यता ने बुराई और अंधकार की शक्तियों का प्रतिनिधित्व किया, जबकि प्राचीन, अर्थात, भारतीय सभ्यता, अपने सार, दैवीय बल का प्रतिनिधित्व करती थी। भारतीय सभ्यता जो मुख्यतः आध्यात्मिक थी की तुलना में आधुनिक सभ्यता मुख्य रूप से भौतिकतावादी, विनाशकारी थी। स्वदेशी का संबंध हिंदू धर्म से है। गाँधी के लिए, हिंदू धर्म समावेशी, सहिष्णु और सुधारवादी था। उस अर्थ में गाँधी की स्वदेशी हिंदू धर्म की परंपरा को संजोकर रखती है।

5.8 सारांश

गाँधी के राजनीतिक विचारों की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक स्वदेशी की अवधारणा है। स्वदेशी शब्द का शाब्दिक अर्थ है किसी के अपने देश से संबंधित। गाँधी का अर्थ भी कमोबेश यही है, फिर भी इस शब्द पर जोर डालकर और इसके व्यापक उपयोग के कारण भी गाँधी के विचार को एक विशेष महत्व मिला है। गाँधी ने इस धारणा को जीवन के लगभग हर क्षेत्र में लागू किया है - सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। आमतौर पर गाँधी की स्वदेशी की व्याख्या को एक राजनीतिक रंग दिया जाता है और इसे 'राष्ट्रवाद' के आधार के रूप में लिया जाता है। लेकिन, गाँधी के स्वदेशी में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों अर्थ हैं। सकारात्मक रूप से यह एक राजनीतिक और आर्थिक सिद्धांत प्रदान करता है जिसे राष्ट्रवाद के रूप में देखा जा सकता है, नकारात्मक रूप से यह अंतर-राष्ट्रीयता के विरुद्ध है।

स्वदेशी का व्यापक अर्थ है 'विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके सभी घरेलू वस्तुओं का उपयोग'। लेकिन, यह स्वदेशी की बहुत ही व्यापक परिभाषा है क्योंकि घरेलू चीजों के

उपयोग के लिए विदेशी चीजों के बहिष्कार की सिफारिश केवल एक शर्त के तहत की जाती है, केवल जब इस तरह का उपयोग गृह उद्योग के संरक्षण और विकास के लिए आवश्यक हो। यदि विदेशी चीजों का उपयोग फायदेमंद है, और कुटीर उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है, तो, स्वदेशी पर जोर नहीं दिया जाएगा। गाँधी इस बात से अवगत थे कि स्वदेशी को भी, किसी भी अन्य अच्छी चीज की तरह, यदि इसे जरूरी बनाया जाता है, तो यह धीरे धीरे समाप्त हो सकती है। यह एक खतरा है जिसे टाला जाना चाहिए। विदेशी निर्माताओं को केवल इसलिए खारिज करना कि वे विदेशी हैं और ऐसे विनिर्माण को बढ़ावा देने की कोशिश में राष्ट्रीय समय और धन बर्बाद कर रहे हैं, जिसके लिए देश अनुकूल नहीं है, स्वदेशी की भावना की उपेक्षा होगी।

अतः स्वदेशी एक संकीर्ण सिद्धांत नहीं है, दूसरी ओर, यह मानव सीमाओं और कार्य और सेवा की क्षमता की मान्यता पर आधारित है। हमें अपने निकटस्थ पड़ोसियों को भोजन, काम और रोजगार उपलब्ध कराना है, और इसलिए, हमें उन सभी के लिए काम करना होगा तभी हम सभी को इसकी गारंटी दे सकते हैं। स्वदेशी का सिद्धांत, इसलिए स्वदेशी उद्योगों के संरक्षण के लिए कार्यरत सिद्धांत है। यह किसी भी तरह से, यह सुझाव देता है कि विदेशी वस्तुओं के उपयोग को हर कीमत पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

स्वदेशी गाँधी के दर्शन के केंद्रीय सिद्धांतों में से एक है। गाँधी को स्वदेशी के माध्यम से स्वराज का एहसास हुआ। स्वदेशी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, क्षेत्र और संस्कृति को जोड़कर क्षेत्रीयता को बढ़ाने की एक आदर्श अवधारणा थी। गाँधी का स्वदेशी हमेशा स्वदेशी कौशल, स्थानीय ज्ञान प्रणाली, सांस्कृतिक परंपराओं और गाँव की अर्थव्यवस्था के बचाव में है। स्वदेशी का अर्थ था अपने सभी पहलुओं में पुनरोद्धार के माध्यम से घर की आत्मनिर्भरता। स्वदेशी के माध्यम से, गाँधी राष्ट्रवादी आंदोलन के साथ आर्थिक संघर्ष को एकजुट करने में सफल रहे। गाँधी ने आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक सद्भाव की विशेषता वाले एक जैविक और राजनीतिक समाज की परिकल्पना की। स्वदेशी कार्यकर्ता न केवल चरखे और खादी का प्रतीक है, बल्कि सादगी और आध्यात्मिकता में भी रहता है। गाँधी के स्वदेशी में, अर्थशास्त्र का स्थान होगा, लेकिन वह समाज पर हावी नहीं होगा। स्वदेशी अर्थशास्त्र गैर-अधिकारिता के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि पूंजीवाद अधिकारिता के सिद्धांत पर आधारित है। यह माना जाता है कि एक निश्चित सीमा के बाद, आर्थिक विकास मानव कल्याण के लिए हानिकारक हो जाता है। गाँधी के स्वदेशी के सिद्धांत का वैश्वीकरण के समकालीन समय में बहुत अधिक प्रासंगिकता है।

5.9 अभ्यास प्रश्न

1) गाँधी के दर्शन में स्वदेशी के विभिन्न अर्थों पर चर्चा करें।
2) गाँधी के आर्थिक दर्शन का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें।
3) गाँधी के ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर नोट लिखें।
4) स्वदेशी के सिद्धांतों और समकालीन समय में इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा करें।
5) टिप्पणी लिखें :
   a) खादी उद्योग
   b) स्वदेशी आंदोलन

5.10 संदर्भ ग्रंथ

एण्ड्रयूज, सी.एफ., ''महात्मा गाँधीज आइडियाज, इन्क्लूडिंग सेलेक्शन फ्रॉम हिज राईटिंग्स, पृ.118-130

दीवान, रोमेश, ''द इकोनॉमिक ऑफ लव : ऑर ऐन एटेम्प्ट ऐट गाँधीयन इकोनॉमिक्स'', *जर्नल ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज*, वॉल्यूम-XVI, नं. 2, जून, 1982, पृ.413-433

गाँधी, एम.के., 'स्वदेशी', *द सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गाँधी,* वॉल्यूम-6, नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, 1968, पृ.336-339

'गोस्पेल ऑफ स्वदेशी', *महात्मा गाँधीज स्पीचेज एण्ड राईटिंग्स,* पृ.336-44 एन.डी. https://www.mkgandhi.org/indiadreams/chap31.htm.

गोस्वामी, मनु, 'फॉर्म स्वदेशी टू स्वराज : नेशन, इकोनॉमी एण्ड टेरीटरी इन कोलोनियल, साउथ एशिया, 1870-1907', *कम्पैरेटिव स्टडीज इन सोसाइटी एण्ड हिस्ट्री*, वॉल्यूम-40, नं. 4 (अक्टूबर 1998), पृ.609-636

अय्यर, राघवन, (एडिटेड) *द इशेंशियल राईटिंग्स ऑफ महात्मा गाँधी*, ऑक्सफोर्ड : ऑफक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1990

अय्यर, राघवन, *द मोरल एण्ड पोलिटिकल राईटिंग्स ऑफ महात्मा गाँधी*, ऑक्सफोर्ड : ऑफक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1986

जोसफ, सिल्बी, के., ''अण्डरस्टैण्डिंग गाँधीज विज़न ऑफ स्वदेशी'', *महात्मा गाँधीज स्पीचेज एण्ड राईटिंग्स*, एन.डी. https://www.mkgandhi.org/articles/understanding-gandhis-vision-of-swadeshi.html.

कुमार, बसंत लाल, *कन्टम्परारी इण्डियन फिलोसफी*, न्यू देहली, मोतीलाल बनारसीदास, 2017

कुमार, सतीश, *गाँधीज स्वदेशी - द इकोनॉमिक्स ऑफ पर्मानेंस, द केस अगेंस्ट द ग्लोबल इकोनॉमी एण्ड फॉर ए टर्न टूवर्ड्स द लोकल*, जेरी मन्देर एण्उ ऐडवर्ड गोल्डस्मिथ (एडज) http://squat.net/caravan/ICC-en/Krrs-en/ghandi-econ-en.htm.

त्रिवेदी, लिसा एन., 'विजुअली मैपिंग द नेशन : स्वदेशी पॉलिटिक्स इन नेशनलिस्ट इण्डिया : 1920-1930', *जर्नल ऑफ साउथ एशियन स्टडीज*, वॉल्यूम-62, नं.1 (फरवरी 2003) पृ.11-41

विरेन्द्र, ग्रोवर (एड) *पोलिटिकल थिंकर्स ऑफ मॉर्डन इण्डिया : लाला लाजपत राय*, न्यू देहली, साउथ एशिया बुक्स, 1993

इकाई 6 सत्याग्रह

संरचना

6.1 प्रस्तावना

लक्ष्य और उद्देश्य

6.2 सत्याग्रह की अवधारणा

6.3 सत्याग्रह के विचार के स्रोत

6.4 सत्याग्रह बनाम दुराग्रह

6.5 शांत प्रतिरोध पर सत्याग्रह की श्रेष्ठता

6.6 सत्याग्रह उग्र राष्ट्रवाद के विरोध में

6.7 सत्याग्रह की आचारसंहिता

6.8 सत्याग्रह, नागरिक अवज्ञा और असहयोग

6.9 ब्रिटिश भारत में सत्याग्रह आंदोलन

6.9.1 चंपारण सत्याग्रह

6.9.2 खेड़ा/कैरा सत्याग्रह

6.9.3 अहमदाबाद मिल श्रमिक हड़ताल

6.9.4 बारदोली सत्याग्रह

6.9.5 नमक सत्याग्रह

6.9.6 व्यक्तिगत सत्याग्रह

6.10 फ्रांसिसी और पुर्तगाली भारत में सत्याग्रह

6.11 भारत के बाहर सत्याग्रह की विरासत

6.12 समकालीन प्रासंगिकता

6.13 सारांश

6.14 अभ्यास प्रश्न

6.15 संदर्भ ग्रंथ

6.1 प्रस्तावना

रंगभेद की बुराई से गाँधी जी का सामना दक्षिण अफ्रीका में उस दौरान हआ जब वह वहां कई वर्षों तक थे। श्वेत साम्राज्यवादियों के हाथों काले लोगों के दुख और अपमान को उन्होंने प्रत्यक्ष महसूस किया। उनका मानना था कि श्वेतों का काले लोगों पर उनके देश में ही प्रभुत्व इसलिए कायम है क्योंकि इसका कोई प्रतिरोध नहीं होता। गाँधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में हालात बदलने के लिए आंदोलन शुरू किया क्योंकि उनका विश्वास था कि उनकी मांगे सच्ची और न्यायपूर्ण हैं। उनके सहयोगी मगनलाल गाँधी ने इस आंदोलन का नाम 'सदाग्रह' रखने का सुझाव दिया जिसका अर्थ था अच्छे उद्देश्य के प्रति दृढ़ता। गाँधी जी ने इसका नाम बदलकर 'सत्याग्रह' कर दिया। 'सत्' शब्द मुक्त विचार, ईमानदारी, दृढ़ता और सत्य को परिलक्षित करता है। सत् शब्द 'सत्य' से लिया गया है जिसका अर्थ है वास्तव में दुनिया में सत्य के अलावा किसी का भी अस्तित्व नहीं है। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य का आग्रह।

प्रो बी कृष्णमूर्ति, आचार्य, पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी एवं सुरुचि अग्रवाल, शोधार्थी, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली–25

गाँधी जी के सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में 1906 में शुरू हुआ। गैर श्वेत आव्रजकों को रजिस्ट्रार ऑफ एशियाटिक्स के पास जाकर अपना पंजीकरण कराना पड़ता था और तब सरकार उन्हें उनके परिचय और फिंगरप्रिंट्स के साथ पंजीकरण का प्रमाणपत्र जारी करती थी। इस नियम का पालन नहीं करने वालों का ट्रांसवाल में रहने का अधिकार छीन लिया जाता था और उनपर 100 पाउंड का जुर्माना लगाया जाता था। साथ ही उन्हें वहां से निकाल दिया जाता था। गाँधी जी इस काले अध्यादेश का विरोध करने के प्रति दृढ़ थे और उन्होंने भारतीयों को इसका विरोध करने के लिए प्रेरित किया। गाँधी जी ने दक्षिण अफ्रीकी सरकार की नस्लवादी नीतियों का विरोध करने के लिए 11 सितंबर, 1906 को जोहानिसबर्ग के एक थियेटर में करीब 3000 भारतीयों के जनसमूह के समक्ष अहिंसक प्रतिरोध की रणनीति पेश की। इस तरह सत्याग्रह का जन्म हुआ और उसके बाद से विश्व भर में सामाजिक अन्याय और दमन का प्रतिरोध करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया।

गाँधी जी के लिए सत्याग्रह सिर्फ राजनीतिक संघर्ष नहीं, बल्कि साहस और सत्य को साथ लेकर एक नैतिक संघर्ष भी था। इसके गहरे वैचारिक मूल्य थे। गाँधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अपने उपायों का उपयोग करके खासी सफलता हासिल की। वह 1915 के उत्तरार्द्ध में भारत लौटे और राष्ट्रीय राजनीति में व्यस्त हो गये। भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में गाँधी जी के प्रवेश और उनके सत्याग्रह आंदोलन ने प्रबल और कामयाब जनांदोलन चलाया, जिसने अंततः भारत को यूरोपीय साम्राज्यवादी शासन की बेड़ियों से मुक्त कराया।

लक्ष्य और उद्देश्य

इस यूनिट के अध्ययन के बाद आप ये समझने में कामयाब होंगे :

- सत्याग्रह का दर्शन और इसके राजनीतिक और सामाजिक-आर्थिक आयाम
- सत्याग्रह एक मौन, अहिंसक क्रांति को साकार करने के एक प्रयास के रूप में
- 'सत्याग्रह' और 'शांत प्रतिरोध' के बीच अंतर
- ब्रिटिश भारत के दौरान सत्याग्रह आंदोलन की प्रगति
- भारत के बाहर सत्याग्रह की विरासत और इसकी समकालीन प्रासंगिकता

6.2 सत्याग्रह की अवधारणा

गाँधी जी के मुताबिक सत्याग्रह सीधी कार्यवाही का सर्वाधिक सशक्त उपाय था जिसका उपयोग सत्याग्रही करता था। एक सत्याग्रही इसलिए निरंतर गठित प्राधिकार से संपर्क करेगा, जनमत से अपील करेगा, जनमत को प्रशिक्षित करेगा हर किसी के समक्ष अपनी शिकायत शांतिपूर्वक पेश करेगा जो उनको सुनना चाहते हैं और जब वह इन सारे विकल्पों का उपयोग कर लेगा तब सत्याग्रह का मार्ग अपनायेगा। उन्होंने इसकी व्याख्या करते हुए बताया कि उनके अनुभवों ने उन्हें सिखाया है कि हर सही और न्यायसंगत संघर्ष पर प्रगति का कानून लागू होता है। लेकिन सत्याग्रह के मामले में कानून स्वयंसिद्ध नजर आता है। जैसे जैसे सत्याग्रह का आंदोलन आगे बढ़ता है, कई अन्य दूसरी शक्तियां इसकी प्रबलता और प्रभाव को बढ़ाने में मदद करती हैं और लगातार इसका असर बढ़ने लगता है। यह वास्तविक तौर पर अनिवार्य है और सत्याग्रह के प्राथमिक सिद्धांतों से आबद्ध है।

6.3 सत्याग्रह की अवधारणा के स्रोत

सत्याग्रह सत्य और अहिंसा के दो सिद्धांतों पर आधारित है जो गाँधी जी की राजनीतिक विचारधारा का मूल सिद्धांत था। ये जैन धर्म, बौद्ध धर्म, उपनिषद, और भागवद-गीता के आध्यात्मिक मतों से प्रभावित था। उपनिषद में ये उद्घोषणा है कि समस्त विश्व सत्य के मूल सिद्धांत पर टिका हुआ है। गौतम बुद्ध ने मानव समुदाय को अहिंसा का संदेश दिया और बताया कि घृणा को घृणा से नहीं बल्कि प्रेम से जीता जा सकता है। महावीर ने अहिंसा को धर्म का सबसे उच्च स्वरूप घोषित किया।

हिंदू पौराणिक परंपरा में ऐसी कहानियों की भरमार है जो सत्य की महिमा स्थापित करते हैं। इसमें प्रमुख कहानी है राजा हरिश्चंद्र की, जो हर विपरीत परिस्थिति में सत्य की रक्षा करते हैं। सुकरात का दर्शन और जीसस क्राइस्ट के उपदेश भी पूर्ण सत्याग्रह पर आधारित हैं। "किसी बुराई का प्रतिरोध मत करो अगर कोई तुम्हारे दायें गाल पर थप्पड़ मारे तो बायां गाल भी सामने कर दो" - यह ईसाई सूक्ति गाँधी जी के सत्याग्रह की मार्गदर्शी सिद्धांत बन गयी।

6.4 सत्याग्रह बनाम दुराग्रह

गाँधी जी ने सत्याग्रह और 'दुराग्रह' के बीच अंतर की व्याख्या की जिसमें प्रतिरोध का उद्देश्य विरोधियों को समझाने से ज्यादा प्रताड़ित करना है। उन्होंने लिखा : "इस मामले में कोई अधीरता, कोई क्रूरता, कोई बदतमीजी और कोई अनैतिक दबाव नहीं होना चाहिए। अगर हम लोकतंत्र की सच्ची भावना विकसित करना चाहते हैं तो हम असहिष्णुता स्वीकार नहीं कर सकते। असहिष्णुता किसी के उद्देश्य के प्रति विश्वास को खंडित करती है।"

6.5 शांत प्रतिरोध पर सत्याग्रह की श्रेष्ठता

गाँधी जी शांत प्रतिरोध को लेकर लियो टॉलस्टाय और थोरो के विचारों से खासे प्रभावित थे। तथापि उनका मानना था कि शांत प्रतिरोध का विचार अति संकीर्ण है। शांत प्रतिरोध का लक्ष्य था विरोधी को शर्मिंदा करके आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करना। दूसरी ओर सत्याग्रह विरोधी के हृदय से निवेदन करता था और अपनी पीड़ा से उसे बदलने के लिए मजबूर करता था। शांत प्रतिरोध में विरोधी से प्रेम की कोई जगह नहीं थी। सत्याग्रह में कोई दुर्भावना या घृणा नहीं थी क्योंकि आंदोलन का उद्देश्य बुरा काम करने वालों की बजाय बुराई को खत्म करना था। शांत प्रतिरोध स्थैतिक था जबकि सत्याग्रह गत्यात्मक था।

6.6 सत्याग्रह उग्र राष्ट्रवाद के विरोध में

गाँधी जी मानते थे कि राजनीति और समाज में बदलाव खूनी क्रांतियों के जरिये नहीं बल्कि मनुष्यों के हृदय और मस्तिष्क को परिवर्तित करके लाया जा सकता है। गाँधी जी ये मानते थे कि हर व्यक्ति में विवेक होता है और उनका लक्ष्य उसे जागष्त करना था और वो भी, हिंसात्मक उपायों की सहायता से नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और नैतिक प्रभाव के जरिये। उन्हें भरोसा था कि सत्याग्रह के जरिये हृदय परिवर्तन संभव है। भारतीय युवा गाँधी जी के सिद्धांतों से सहमत नहीं थे और उन्होंने साम्राज्यवादी शासन से शीघ्र स्वतंत्रता हासिल करने के लिए हिंसात्मक उपायों को अपनाने को प्राथमिकता दी। वे ये महसूस करते थे कि निवेदन, याचना और प्रार्थना जैसी उदारवादी रणनीति नाकाम हो चुकी है। गाँधी जी इसके

खिलाफ थे और उन्होंने जोर देकर कहा "क्रूर शक्ति भारतीय जमीं के अनुरूप नहीं इसलिए किसी व्यक्ति को सरजमीं की शक्ति पर पूरा भरोसा करना होगा। किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए हिंसा जरूरी है।"

यद्यपि गाँधी जी ने उग्रपंथियों की देशभक्ति की भावना और आत्मनिर्णय के अधिकार के प्रति उनकी तड़प को स्वीकार किया और उसे मान्यता दी। उन्होंनें मातृभूमि की रक्षा के लिए त्याग की भावना की प्रशंसा की लेकिन उनकी हिंसात्मक गतिविधियों को खारिज कर दिया। गाँधी जी का मानना था कि उग्रपंथी भारतीयों की समस्या सुलझाने की बजाय और उलझा देंगे जिसका सामना वे अंग्रेजों के शासन में कर रहे थे। विकल्प के तौर पर उन्होंने ताकतवर ब्रिटिश शासन से मुकाबला करने के लिए अहिंसा और सत्याग्रह का सुझाव दिया। गाँधी जी ये मानते थे कि अहिंसा सशक्तों का हथियार है और सच्चे सत्याग्रही उग्रपंथियों की बजाय ज्यादा मारक हथियारों का उपयोग कर रहे थे।

6.7 सत्याग्रही की आचारसंहिता

सत्याग्रह मूलतः एक जीवनचर्या है जो सत्याग्रहियों के राजनीतिक कार्यकलाप के तौर तरीकों को निर्देशित करते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर ये ऐसे जीवन की परिकल्पना करता है जो सत्य, पवित्रता, अनासक्ति और कठोर श्रम से प्रेरित हो। राजनीतिक मोर्चे पर सत्याग्रह विरोधी के खिलाफ अहिंसक उपायों के उपयोग की परिकल्पना करता है जिससे उसे बलपूर्वक आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करने की बजाय उसका हृदय परिवर्तन किया जा सके। सत्याग्रही चाहते हैं कि बुरा काम करने और अन्याय करने वाले को जो वे गलत कर रहे हैं इसका अहसास कराया जाये। सत्याग्रह में विरोधियों को सही को स्वीकार करने के प्रति प्रोत्साहित करना और अगर वे इसमें नाकाम रहते हैं तो कम से कम उन्हें सही कार्यो में बाधा डालने से रोकना शामिल है। सत्याग्रही प्रतिरोध के लिए धरना, असहयोग, शांतिपूर्ण जुलूस और बैठकों के आयोजन के साथ साथ स्थानीय कानूनों की शांतिपूर्ण अवज्ञा जैसे तरीके अपनाते हैं।

एक सच्चे सत्याग्रही को धैर्य के साथ सभी कठिनाइयां सहन करनी पड़ती थीं यहां तक कि शारीरिक हमले को भी और वो भी आवेश में आये बगैर। सत्य की रक्षा के लिए जान देने की भी नौबत आ सकती थी। इसके लिए सत्याग्रही के पास अत्यधिक आंतरिक शक्ति और नैतिक साहस का होना जरूरी था। सत्याग्रहियों को सात्विक और सामान्य जीवन जीना पड़ता था। गाँधी जी ने अपने जीवन को अपने उपदेशों का विश्वसनीय प्रमाण बना दिया था और अपने साबरमती आश्रम को लोगों के लिए ऐसे आश्रय में परिणत कर दिया था जो उनके उपदेशों के अनुरूप जीवन जीना चाहते थे। सत्याग्रह के अंतर्गत सभी प्रकार की हिंसा का प्रतिरोध और हिंसा से दूरी अपेक्षित थी। गाली गलौच और दुर्वचन पर पूर्ण प्रतिबंध था और इसमें इन्द्रिय सुखों से परहेज करने का भी समर्थन किया गया था। हर किसी से ये अपेक्षा की गयी थी कि वह अपना भोजन और वस्त्र अपनी मेहनत से तैयार करेगा जिसे गाँधी जी रोटी-श्रम बोलते थे। खादी पहनने और सादा जीवन जीने का सुझाव दिया गया था। पूर्ण धर्मनिरपेक्षता और हर प्रकार की अस्पृश्यता का उन्मूलन भी उनके सत्याग्रह की एक खास विशेषता थी। गाँधी जी का मानना था कि भारतीय इसके जरिये इतने सशक्त बन पायेंगे कि सच्चे तौर पर अहिंसक क्रांति के मार्ग पर चल सकें।

सत्याग्रही का उद्देश्य कभी ये नहीं होता था कि वो अन्यायी को शर्मिंदा करे। उससे निवेदन का उद्देश्य कभी उसे डराना नहीं बल्कि उसके हृदय तक पहुंचना होता था। सत्याग्रही का लक्ष्य अन्यायी पर बलपूर्वक दबाव डालना नहीं बल्कि उसका हृदय परिवर्तन होता था। सत्याग्रह को लेकर गाँधी जी की परिकल्पना में सिर्फ राजनीतिक संघर्ष में इसका उपयोग

करने की बजाय किसी भी प्रकार के अन्याय और क्षति के निराकरण में इसका उपयोग शामिल था। वे यह महसूस करते थे कि ये व्यापक राजनीतिक संघर्ष और अंतर्वैक्तिक विवादों में यह समान रूप से उपयोगी है और इसे हर व्यक्ति को सिखाया जाना चाहिए।

6.8 सत्याग्रह, नागरिक अवज्ञा और असहयोग

सत्याग्रह के अंतर्गत नागरिक अवज्ञा और असहयोग का प्रयोग पीड़ा संबंधी कानून पर आधारित है। इस सिद्धांत में पीड़ा को सहना ही इसका समाधान है। यह समाधान किसी व्यक्ति या समाज के नैतिक उत्थान या प्रगति से संबंधित है। इसलिए सत्याग्रह में असहयोग का उद्देश्य सत्य और न्याय के साथ विरोधी का सहयोग हासिल करना होता है। गाँधी जी वाकई इस तथ्य पर भरोसा करते थे कि 'बुराई के साथ असहयोग उतना ही जरूरी है जितना अच्छाई के साथ सहयोग।' शांतिप्रियता, नागरिक अवज्ञा, गलत नीतियों के खिलाफ उचित प्रतिरोध, शांत प्रतिरोध और असहयोग अहिंसक संघर्ष के ऐसे स्वरूप हैं जिनका प्रयोग गाँधी जी ने शुरू किया। ये सभी उपाय सत्याग्रह के अंतर्गत आते हैं।

6.9 ब्रिटिश भारत में सत्याग्रह आंदोलन

ब्रिटिश सरकार ने भारत में न्यायिक व्यवस्था बारे में सुझाव देने के लिए रौलेट आयोग की नियुक्ति की थी। कमेटी ने भारत में नागरिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया। परिणामस्वरूप, शाही विधायी परिषद ने दो विधेयक पारित किये, जिसमें से एक में अराजक गतिविधियों में शामिल रहने वाले व्यक्तियों की गिरफ्तारी और उन्हें हिरासत में रखने का प्रावधान था और दूसरे में राजद्रोह से संबंधित साहित्य रखने को अपराध घोषित किया गया था। रौलेट विधेयक ने सभी संदिग्ध राजनीतिक आंदोलनकारियों को ऐहतियाती तौर पर हिरासत में रखने और उन्हें घर पर नजरबंद रखने का असीमित अधिकार दिया था। भारतीय जनमत के हर वर्ग ने इसे लेकर नाराजगी जाहिर की।

गाँधी जी ने इसे काला विधेयक बताते हुए वायसराय से इसे मंजूरी नहीं देने का आग्रह किया लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उन्होंने इसका विरोध करते हुए इसके विरूद्ध जन समर्थन जुटाना शुरू कर दिया। गाँधी जी ने 6 अप्रैल को सत्याग्रह दिवस घोषित किया और कानून के विरोध में हड़ताल, अनशन और सामूहिक बैठकों का आह्वान किया। इस असहयोग अभियान को व्यापक जनसमर्थन मिला। लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठित होने की स्वतंत्रता, धार्मिक आचरण का अधिकार और अन्य मौलिक स्वतंत्रताएं छीन ली गयीं। 13 अप्रैल,1919 को जालियांवाला बाग में शांतिपूर्वक बैठक करने के लिए जमा हुए लोगों पर ब्रिटिश सेनाधिकारी जनरल डायर ने गोलियां चलवाईं। नेहरू जी ने इस नरसंहार को एक भयावह त्रासदी की संज्ञा दी जिसकी वजह से 1202 लोग मारे गये और 3600 लोग जख्मी हो गये। कई लोग स्थायी रूप से अपंग हो गये।

यह लोकप्रिय आंदोलन देश के अलग अलग हिस्सों में हिंसात्मक स्वरूप अख्तियार करने लगा। इसकी वजह से गाँधी जी को ये अहसास हुआ कि लोगों को नागरिक अवज्ञा और सत्याग्रह की संस्कृति और तकनीक के प्रति प्रशिक्षित करने की जरूरत है और उन्होंने व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया।

6.9.1 चंपारण सत्याग्रह

बिहार में चंपारण के किसान में तीनकठिया व्यवस्था के अंतर्गत अपनी जमीन के बीस में से तीन हिस्से पर कानूनन नील की खेती करने के लिए बाध्य थे। यही नहीं उन्हें ये नील

ब्रिटिश भूमिपतियों को मनमानी कीमत पर बेचना भी पड़ता था जिसका निर्धारण वही करते थे। ये किसान ब्रिटिश भूमिपतियों के गैरकानूनी दमन और प्रताड़ना के भी शिकार थे। गाँधी जी के प्रयासों से स्थानीय प्रशासन एक जांच कमेटी नियुक्त करने पर मजबूर हुआ और परिणामतः चंपारण भूमि विधेयक और तद्नुरूप कानून पारित हुआ जिसमें गरीब किसानों के हितों की रक्षा का प्रावधान था।

6.9.2 खेड़ा/कैरा सत्याग्रह

गुजरात के कैरा जिले में 1918 में फसल खराब हो गयी थी लेकिन ब्रिटिश अधिकारियों ने पूरे भू राजस्व की वसूली पर जोर दिया। गाँधी जी ने किसानों को सत्याग्रह करने के लिए संगठित किया और कर अदायगी से मना करने और इसके परिणाम झेलने के लिए तत्पर रहने के लिए प्रोत्साहित किया। जो कर अदा करने में सक्षम थे उन्होंने भी सिद्धांत रूप में इसे सही मानते हुए सभी दबावों के बावजूद कर अदायगी से मना कर दिया। सरकार इस दबाव के आगे झुक गयी और किसानों के साथ समझौते के लिए मजबूर हुई।

6.9.3 अहमदाबाद मिल श्रमिक हड़ताल

गाँधी जी ने अहमदाबाद में मालिकों के खिलाफ मिल श्रमिकों की हड़ताल का नेतृत्व किया। मिल मालिकों ने ज्यादा वेतन देने से मना कर दिया था और वे श्रमिकों का अत्यधिक शोषण भी करते थे। गाँधी जी ने अनशन शुरू करके श्रमिकों को एकजुट कर दिया और इस वजह से वे इतने संगठित हो गये कि मिल मालिकों को अनशन के चौथे दिन ही समर्पण करना पड़ा और वे 35 प्रतिशत वेतन बढ़ोतरी के लिए सहमत हो गये।

6.9.4 बारदोली सत्याग्रह

बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभभाई पटेल ने किया था और यह ऐसा महत्वपूर्ण आंदोलन था जिसमें अहिंसा का पालन किया गया था। 1928 में इस तालुका के 136 गांवों के भू राजस्व में बढ़ोतरी कर दी गयी थी क्योंकि इस क्षेत्र में कपास और चावल जैसी महंगी फसलों की उपज होती थी। इस क्षेत्र के किसान ब्रिटिश सरकार द्वारा भू राजस्व की भारी बढ़ोतरी के फैसले से आक्रोश में थे। दो साल तक निवेदन करने और विरोध प्रदर्शन करने की प्रक्रिया अपनाने के बाद अहिंसात्मक आंदोलन शुरू हुआ। किसानों ने करों की अदायगी नहीं करने का प्रस्ताव पारित किया जब तक सरकार भू राजस्व में बढ़ोतरी वापस लेने का विचार नहीं करती।

बड़ी तादाद में पुरुषों और महिलाओं ने सत्याग्रह आंदोलन में हिस्सा लिया। सरकार ने उन्हें चेतावनी दी कि उनकी जमीन जब्त कर ली जायेगी। बारदोली में लोगों ने प्रबल इच्छाशक्ति का प्रदर्शन किया और गांव के मुखिया और उनके अधीनस्थ अधिकारियों ने बड़ी संख्या में इस्तीफे दे दिये। चार महीने तक चले आंदोलन और निरंतर निगरानी, गिरफ्तारी की धमकियों के बाद परिस्थिति का आकलन किया गया और अंततः शांति का विकल्प चुना गया। सरकार ने मुखियाओं को बहाल कर दिया और गिरफ्तार सत्याग्रहियों को रिहा कर दिया गया। सरकारी दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक जांच और हालात का जायजा लेने के बाद सरकार ने बढ़ोतरी को वापस ले लिया जिसे वह किसी भी हालत में लागू करने पर आमादा थी। हर किसी ने पटेल की नेतृत्व की क्षमताओं की सराहना की और इससे उन्हें काफी ख्याति मिली और उन्हें गाँधी जी के सच्चे अनुयायी की संज्ञा दी गयी।

6.9.5 नमक सत्याग्रह

ब्रिटिश शासकों ने भारतीय नमक को ब्रिटेन ले जाने और इसे परिष्कृत करने और नयी पैकेजिंग के बाद भारत भेजने और भारतीय जनता से इसकी बीस गुना अधिक कीमत वसूलने का फैसला किया। नमक पर अत्यधिक कर लगा दिया गया था जो एक जरूरी सामग्री थी और हर किसी को हर दिन इसकी जरूरत होती थी। नमक पर अत्यधिक कर थोपने को हर किसी ने अन्यायपूर्ण माना और गाँधी जी ने नमक कर को चुनौती देने का फैसला किया। उन्होंने कुख्यात नमक कानून का उल्लंघन करने का फैसला किया क्योंकि यह हर किसी को प्रभावित कर रहा था, हिंदू और मुस्लिम से लेकर गरीब या अमीर तक को। गाँधी जी का आकलन था कि दमनकारी नमक कानून के खिलाफ आंदोलन लोगों को एकजुट कर देगा चाहे वे किसी भी धर्म, क्षेत्र या आर्थिक स्थिति के हों।

नमक सत्याग्रह 1930 में शुरू किया गया था जब गाँधी जी ने देश के समक्ष ये ऐलान किया कि वह ब्रिटिश शासन द्वारा लागू नमक कानून की अवज्ञा करने जा रहे हैं और इस तरह ब्रिटश सरकार को चुनौती दे रहे हैं। गाँधी जी ने दांडी मार्च 12 मार्च,1930 को शुरू किया 246 मील पैदल चलकर समुद्र तक पहुंचे। भारतीय जनमानस इससे खासा प्रभावित हुआ और लाखों लोग सड़कों पर उतर आये। इसे इतना जबरदस्त समर्थन मिला कि शंकाग्रस्त कांग्रेसियों को भी इसमें बुद्धिमानी दिखने लगी और ब्रिटिश सरकार पूरी तरह अचंभे में पड़ गयी। यह भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में मील का पत्थर बना। गाँधी जी का सत्याग्रह सफलता के शिखर तक पहुंच गया और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन दीवानगी में तब्दील हो गया। इसकी वजह से सरकार को गाँधी-इरविन समझौते की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ी और इसके बाद दूसरा गोल मेज सम्मेलन हुआ जिसमें गाँधी जी ने अपना सबसे शानदार भाषण दिया जिसमें सत्याग्रह की महिमा का उल्लेख था और ब्रिटिश शासन की बुराइयों का विरोध किया गया था।

6.9.6 व्यक्तिगत सत्याग्रह

अपने अनुभवों से गाँधी जी ने ये समझ लिया था कि हर कोई सत्याग्रही बनने के योग्य नहीं है क्योंकि सबकी अपनी अलग प्रकृति और अभिरूचि होती है और ऐसे में उन्हें प्रशिक्षित करने और उन्हें इसके लिए तैयार करने की जरूरत है। वह सरकार की एजेंसियों और पुलिस के बल प्रयोग के विरोध में जवाबी सामूहिक हिंसा से व्यथित थे। इसी तरह, अक्टूबर 1940 में जब वह नया सत्याग्रह आंदोलन शुरू करने जा रहे थे तब ये फैसला लिया गया कि इस अभियान में चुने हुए लोगों को शामिल किया जायेगा जो सत्याग्रही के रूप में प्रशिक्षित हो चुके हैं। गाँधी जी ने विनोबा भावे को श्रेय प्रदान करते हुए उनको सत्याग्रह आंदोलन के लिए चुना। सत्याग्रह को तब तक खासी लोकप्रियता मिलने लगी थी और उस समय देश भर में निष्ठावान सत्याग्रही थी। भारत छोड़ो आंदोलन ने सत्याग्रह के आदर्शों को स्थापित किया जिसने भारत को 15 अगस्त,1947 को आजादी दिलाने में प्रमुख भूमिका निभाई।

6.10 फ्रांसीसी और पुर्तगाली भारत में सत्याग्रह

ब्रिटिश शासन से अगस्त 1947 में भारत के आजाद होने के बाद फ्रांस के कब्जे वाले इलाके जैसे पांडिचेरी के लोगों ने भी आंदोलन शुरू किया। गोवा के लोगों ने भी ऐसा ही किया जहां पुर्तगालियों का शासन था। यद्यपि शुरू में गाँधी जी फ्रांसीसी कब्जे वाले इलाकों के आंदोलन के खिलाफ थे क्योंकि उनका मानना था कि ये हिंसात्मक कार्यवाहियों का समर्थन

करते हैं। बाद में वह सही स्थिति से अवगत हुए और इन इलाकों में सत्याग्रह के समर्थन में आगे आये।

वर्ष 1948 में गाँधी जी के निधन के बाद फ्रांस के कब्जे वाले भारत के नेताओं और लोगों ने गाँधी जी के आदर्शों का पालन करते हुए फ्रांस के साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ संघर्ष किया। गाँधीवादी अहिंसात्मक आंदोलन को लोगों का समर्थन मिला और इसे फ्रांस के साम्राज्यवादी शासन से स्वतंत्रता मिल गयी। भारत और फ्रांस के बीच 1954 में शांतिपूर्ण समझौते के तहत फ्रांस के कब्जे से लोगों को आजादी मिली।

इसी तरह गोवा में भी लोगों ने हड़ताल और असहयोग जैसे गाँधी जी के आंदोलन के उपायों का प्रयोग किया। पुर्तगाली सरकार ने इन आंदोलन को क्रूरता से दबाने की कोशिश की। वर्ष 1960 में उन्हें सफलता मिली और जवाहर लाल नेहरू के समर्थन से गोवा भी भारतीय राष्ट्र का हिस्सा बना।

6.11 भारत के बाहर सत्याग्रह की विरासत

सशस्त्र हिंसा के बदले सत्याग्रह को विश्व भर में प्रतिरोध के सशक्त उपाय के रूप में मान्यता मिली। गाँधी जी के बाद भी सत्याग्रह की विरासत का पालन किया गया। मार्टिन लूथर किंग ने नस्लवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में इसका उपयोग किया और अपने प्रसिद्ध "आई हैव के ड्रीम" भाषण के दौरान इसे 'आत्मिक बल' की संज्ञा दी। महान मार्टिन लूथर किंग ने अमेरिका में अलगाव का विरोध करने के लिए और नागरिक अधिकार आंदोलन के दौरान इसका उपयोग किया।

मार्टिन लूथर किंग ने अपने कार्य पर गाँधी जी के प्रभाव को स्वीकार करते हुए ये माना "अधिकांश लोगों की तरह मैंने भी गाँधी जी के बारे में सुना था लेकिन मैने कभी गंभीरता से उनका अध्ययन नहीं किया। जैसे ही मैंने उन्हें पढ़ा मैं अहिंसात्मक प्रतिरोध के उनके अभियानों के प्रति गंभीर रूप से आकर्षित हुआ। मैं समुद्र तक उनके नमक मार्च और अनगिनत अनशनों से खास तौर पर प्रभावित था। मैं ज्यों ज्यों गाँधी जी के दर्शन की गहराई में गया प्रेम की ताकत को लेकर मेरी शंका धीरे धीरे घटने लगी और पहली बार सामाजिक सुधार में इसकी ताकत का मुझे अहसास हुआ। प्रेम और अहिंसा के प्रति गाँधी जी के जोर की वजह से मैं सामाजिक सुधार के लिए मैं उस उपाय को खोज पाया जिसकी मुझे तलाश थी।" बाद में नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए सत्याग्रह का प्रयोग किया।

6.12 समकालीन प्रासंगिकता

मौजूदा समय में भूमंडलीकरण के नकारात्मक प्रभावों की वजह से अमीर और गरीब देशों और उसी तरह लोगों के बीच पाटा नहीं जा सकने वाला बड़ा अंतर पैदा हो गया है। शक्तिशाली देश अपने फायदे के लिए विश्व के सभी संसाधनों पर कब्जा करने के प्रयास में हैं और अपनी इच्छा दूसरों पर थोपने के लिए सैन्य शक्ति के उपयोग पर भी आमादा हैं। यही नहीं, उग्रवाद उपद्रव और आतंकवाद से विश्व के कई हिस्से ग्रस्त हो गये हैं। भाषा, संस्कृति, जातीयता, धर्म और क्षेत्रीयता से संबंधित राजनीति से पैदा हुए संकट ने विश्व की शांति और सुरक्षा को काफी नुकसान पहुंचाया है। वास्तविक और काल्पनिक राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक-सांसकृतिक शिकायतों ने हर ओर जटिल परिस्थितियां पैदा कर दी हैं।

लक्ष्य हासिल करने में शांतिपूर्ण और संवैधानिक उपायों के नाकाम हो जाने के बाद नेतृत्व ने हिंसा और बलप्रयोग का सहारा लिया। इस तरह की कई घटनाएं हुई हैं जिसमें आतंकवादी गतिविधियों और सरकार के आतंकविरोधी अभियानों की वजह से बड़े पैमाने पर जन और संपत्ति की हानि हुई। दुर्भाग्यवश, निर्दोष नागरिक आतंकवादियों और सरकारी एजेंसियों दोनों के निशाने बन रहे हैं। आतंकवादी राज्य को अपने लोगों के समक्ष कलंकित करने के लिए आतंकवादी गतिविधियां चलाते हैं जबकि राज्य अपने प्राधिकार के खिलाफ विरोध को खत्म करने और राजनीतिक मतभेद को दबाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं।

एक और आतंकवादी आत्म-निर्णय के अधिकार या राजनीतिक लक्ष्य हासिल करने या सामाजिक-आर्थिक अन्याय के नाम पर अपनी गतिविधियों को जायज ठहराते हैं जबकि राज्य अपने नागिरकों की रक्षा और अपनी क्षेत्रीय अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए इसे न्यायोचित बतलाते हैं। विभिन्न पक्षों के बीच आतंकित करने के लिए होड़ होने लगती है और जो ज्यादा व्यापक और प्रभावी तरीके से आतंकित कर पाता है वही विजयी होता है। आज की तारीख में अंतरराष्ट्रीय राजनीति की यही दुखद स्थिति है। ऐसी परिस्थिति में सकारात्मक सोच वाले सभी लोगों को संकल्प लेना पड़ेगा कि हिंसा अस्वीकार्य और अनुचित है और इससे कोई समाधान नहीं निकलता।

ऐसे मौके पर गाँधी जी का सत्याग्रह और अहिंसक जन आंदोलन के प्रति उनका विचार याद आता है। ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंसा के प्रयोग के खिलाफ उन्होंने जो तर्क दिये थे वे आज पहले से ज्यादा प्रासंगिक हैं। हिंसा से और हिंसा पैदा होती है और इसके लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। स्वराज हासिल करने के लिए आत्मिक-बल या प्रेम की शक्ति और सत्याग्रह के प्रयोग के प्रति उनका समर्पण अपने आप में प्रमाणित है। भूमंडलीकरण और अंतराष्ट्रीय आतंकवाद के मुद्दों के समाधान के लिए अगर गाँधी जी के विचार आजमाये जायें तो सतत शांति और दीर्घकालिक समृद्धि की स्थिति बन सकती है।

6.13 सारांश

साम्राज्यवादी शासन से स्वतंत्रता हासिल करने के लिए गाँधी जी ने 'अहिंसा' और 'सत्य' पर जोर दिया और दोनों को जोड़कर उन्होंने 'सत्याग्रह' की अवधारणा पेश की और उसका प्रयोग किया। सत्याग्रह राजनीतिक कार्यवाही का अनोखा प्रयास साबित हुआ जिसने भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया और लाखों लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उठ खड़े होने के लिए प्रेरित किया। गाँधी जी के लिए सत्याग्रह राजनीतिक अधिकार हासिल करने का एकमात्र वैध तरीका था क्योंकि यह सत्य और अहिंसा के आदर्शों पर आधारित था।

सत्याग्रह गाँधी जी के युग में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सभी क्रांतियों का मुख्य विचार था। सत्याग्रह सबसे शक्तिशाली विरासत थी जो गाँधी जी ने भारत और पूरे विश्व के लिए छोड़ी। सत्याग्रह सत्य का आग्रह था। गाँधी जी का मानना था कि सत्य हर किसी के जीवन की आधारिशिला होनी चाहिए और हर किसी को अपना जीवन सत्य के पालन और जीवन में सत्य की तलाश के लिए उत्सर्ग कर देना चाहिए। इसलिए उनका पूरा दर्शन जीवन का ही दर्शन था। यह दर्शन सिर्फ किसी विवाद के समाधान के लिए नहीं था बल्कि ऐसा दर्शन था जिसका पालन हम जीवन में हर समय कर सकते थे ताकि हम एक बेहतर इंसान बन सकें।

6.14 अभ्यास प्रश्न

1) सत्याग्रह की अवधारणा का वर्णन करें और इसके राजनीतिक, सामाजिक-आर्थिक और आध्यात्मिक आयामों का उल्लेख करें।

2) यूरोपीय साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाफ राजनीतिक हथियार के रूप में सत्याग्रह की अवधारणा के प्रयोग में गाँधी जी की भूमिका का मूल्यांकन करें।

3) ब्रिटिश भारत में गाँधी जी के सत्याग्रह आंदोलन की सविस्तार व्याख्या करें।

4) भारत के बाहर सत्याग्रह की विरासत की संक्षिप्त व्याख्या करें।

5) सत्याग्रह की क्या समकालीन प्रासंगिकता है? इसकी व्याख्या करें।

6.15 संदर्भ ग्रंथ

'ऑल यू नीड इज लव', *द डेली हॉलर*, सितम्बर 3, 2010. http://www.dailyhowler.com/dh090310.shtml.

ब्रेचर, माइकल, *नेहरू : ए पोलिटिकल बायोग्राफी,* ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, देहली, 1998

चन्द्र, बिपिन, ऐ ट आल., *फ्रीडम स्ट्रगल*, नेशनल बुक ट्रस्ट, न्यू देहली, 2000

गाँधी, एम.के., *कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गाँधी*, रीड बुक्स, वानक्यूवर, 2007

गाँधी, एम.के., *हिन्द स्वराज ऑर इण्डियन होम रोल*, नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, अहमदाबाद, 2008, पृ.84

गाँधी, एम.के., *इण्डिया ऑफ माय ड्रीम्स*, नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, अहमदाबाद, 2001, पृ. 87

गाँधी, एम.के., *सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका,* ट्रांसलेटेड फ्रॉम द गुजराती बाय वल्जी गोविन्दजी देसाई, नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, अहमदाबाद, 1928

गाँधी, राजमोहन, *पटेल : ए लाइफ,* नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, अहमदाबाद, 1990

कृष्णामूर्थी, बी., ''हिन्द सवराज : गाँधीयन प्रिस्क्रिप्शन टू द राइट टू सेल्फ-डिटरमिनेशन', *जर्नल ऑफ गाँधीयन स्टडीज*, स्पेशियल नम्बर ऑन हिन्द स्वराज, वॉल्यूम-II, नं.1, 2009, पृ.69.81

लोहिया, राम मनोहर, *एक्शन इन गोवा,* अगस्त पब्लिकेशन हाउस, बॉम्बे, 1947

नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, अहमदाबाद, 2008, पृ.84

नेहरू, जवाहरलाल, *इंडियाज फोरेन पॉलिसी सेलेक्टेड स्पीचेज : सितम्बर 1946-अप्रैल 1961*, द पब्लिकेशन डिविजन, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एण्ड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया, सेकण्ड रिप्रिंट, न्यू देहली, 1983

पारेख, भीखू, ''गाँधी इन द 21st सेंचुरी'', *ट्रांसेंड मीडिया सर्विस*, दिसम्बर 11, 2009 https://www.transcend.org/tms/2009/12/gandhi-in-the-21st-century/.

प्रभु, आर.के. एण्ड यू.आर. राव (एडज) *द माइंड ऑफ महात्मा गाँधी*, ग्रीन लीफ बुक्स, अहमदाबाद, 1987

'रोल ऑफ सत्याग्रह इन द फ्रीडम मूवमेंट्स इन द फ्रेंच एण्ड पोर्तुगीज इण्डिया'', *जर्नल ऑफ गाँधीयन स्टडीज़*, वॉल्यूम-V, नम्बर I व II, 2007, पृ.55-70

शेख, अली, बी. (ऐड), *गोआ विन्स फ्रीडम रिफ्लेशन्स एण्ड रिमिनिसेंस*, गोआ यूनिवर्सिटी, गोआ, 1987

इकाई 7 न्यास (ट्रस्टीशिप)

संरचना

7.1 प्रस्तावना

लक्ष्य एवं उद्देश्य

7.2 न्यास की अवधारणा

7.2.1 न्यास के सिद्धांत

7.3 न्यास - एक प्राचीन भारतीय अवधारणा

7.4 संपत्ति के प्रकार

7.4.1 प्रकृति के उपहार

7.4.2 सामाजिक जीवन के उत्पाद

7.5 राज्य विनियमित न्यास

7.6 सारांश

7.7 अभ्यास प्रश्न

7.8 संदर्भ ग्रंथ

7.1 प्रस्तावना

महात्मा गाँधी के लिए 20वीं सदी के प्रारंभ में ब्रिटिश शासन से राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना ही भारत का एकमात्र महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं था। पूरे देश की यात्रा ने उन्हें दलित जनता की गरीबी और दुःख से अवगत कराया। भारतीय समाज का आर्थिक विकास उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण था। भारतीय समाज में मौजूद असमानता को उन्होंने नजदीक से महसूस किया। उनका विश्वास था कि जब तक भूस्वामी और अमीर लोग किसान और मजदूर वर्ग के असंतोष पर ध्यान नहीं देगें, पूरे राजनीतिक-आर्थिक प्रणाली को ही उखाड़ दिये जाने की आशंका है। पूँजीवाद के समर्थकों और समाजवादी अर्थशास्त्रियों के बीच संपत्ति और संसाधनों का स्वामित्व एक ज्वलंत मुद्दा रहा है। पूँजीवाद के समर्थकों का मानना है कि संपत्ति का अधिकार निरपेक्ष है और इस मामले में राज्य के किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपने हित को भली-भांति समझता है और अपनी स्थिति बेहतर करने के लिए वह स्वयं प्रयास करेगा और इस प्रकार समाज की भलाई को भी बढ़ावा मिलेगा। समाजवादियों ने पूँजीवादी मॉडल को खारिज करते हुए कहा कि इससे एकतरफ एकाधिकार और साम्राज्यवाद को बढ़ावा मिलेगा और दूसरी तरफ मजदूर वर्ग का निरंतर शोषण होता रहेगा।

गाँधी ने इन दोनों समाधानों को अस्वीकार कर दिया। उनका मानना था कि ये दोनों सिद्धांत हिंसा, शोषण और अत्याचार पर आधारित हैं। उनका दृढ़ विश्वास था कि संपत्ति के मालिकाना हक में बदलाव करने की बजाए यदि संपत्ति के उपयोग में बदलाव किया जाता है तो वांछित परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। पूँजीवादी संगठन की मौजूदा लेकिन अस्वीकार्य व्यवस्था और हिंसा के द्वारा इसे उखाड़ फेंकने के बीच एक विकल्प के तौर पर गाँधी ने न्यास (ट्रस्टीशिप) के अवधारणा की वकालत की। उनका मानना था कि संपत्ति के मौजूदा स्वामियों को युद्ध तथा स्वैच्छिक रूप से संपत्ति को न्यास में बदलने के विकल्पों में से एक का चयन करना होगा। यह विकल्प दो पक्षों - संपत्ति के स्वामी और उनके मजदूर

प्रो जे.एन. शर्मा, अध्यक्ष, गांधीवादी अध्ययन विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ एवं सुरुचि अग्रवाल, शोधार्थी, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली–25

- के बीच नहीं बल्कि पूरे समाज की समग्र भलाई के लिए है। वे आर्थिक सम्बन्धों में सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे और न्यास के माध्यम से संपत्ति के मूल्यों को संतुलन की स्थिति में लाना चाहते थे।

लक्ष्य एवं उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन से आप समझ पाएंगे :

- न्यास का गाँधीवादी सिद्धांत,
- प्राचीन भारतीय अवधारणा के रूप में न्यास,
- न्यास प्रणाली के अंतर्गत संपत्ति के प्रकार,
- राज्य विनियमित न्यास, और
- न्यास की समकालीन प्रासंगिकता।

7.2 न्यास की अवधारणा

गाँधी के आर्थिक विचार गरीबी, सामाजिक-आर्थिक अन्याय के खिलाफ शोषण और गिरते नैतिक मूल्यों के खिलाफ उनके सामान्य संघर्ष का हिस्सा थे। गाँधी आम लोगों के अर्थशास्त्री थे। उनका दृष्टिकोण मानवीय गरिमा पर आधारित था। उनका आर्थिक दर्शन अपने जीवन में उनके द्वारा किये गए प्रयोगों का परिणाम था मानवीय गरिमा की रक्षा करने की प्रक्रिया के दौरान उनके व्यावहारिक दृष्टिकोण ने मौजूदा सामाजिक-आर्थिक समस्याओं को नई दिशा दी।

गाँधी के अनुसार भूस्वामी और अमीर लोगों को अपनी संपत्ति के न्यासी के रूप में कार्य करना चाहिए। इसका अर्थ है कि उन्हें अपने संपत्ति के अधिकार को आम लोगों में समर्पित कर देना चाहिए। संपत्ति के बावजूद उन्हें अपने को मजदूर वर्ग के स्तर पर ले जाना चाहिए और परिश्रम करके अपनी आजीविका अर्जित करनी चाहिए। मजदूरों के लिए न्यासी होने से उनका तात्पर्य था कि उन्हें अपने परिश्रम का न्यासी बनना चाहिए और उन्हें यह मानना चाहिए कि उनका परिश्रम समाज के कल्याण के लिए किया जाता है।

मौजूदा प्रणाली में, मजदूर अपना श्रम बेचता है और अमीर बाजार से श्रम खरीदते हैं। अमीर लोग शायद ही कभी शारीरिक मेहनत करते हें जबकि मजदूर वर्ग हमेशा ही श्रमसाध्य कामों में जुटा रहता है। आदर्श स्थिति तब होगी जब श्रमिक वर्ग को अवकाश का समय मिलेगा और उत्पादन के साधनों के स्वामी शारीरिक श्रम करेंगे। तभी समाज में श्रमिकों की गरिमा स्थापित हो सकेगी। श्रमिक वर्ग को उत्पादन-प्रक्रिया और वितरण में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। देश के कुछ कानून मजदूरों को ऐसे अधिकार प्रदान करते हैं।

7.2.1 न्यास के सिद्धांत

i) न्यास समाज की मौजूदा पूँजीवादी व्यवस्था को एक समतावादी व्यवस्था में बदलने का तरीका प्रदान करता है। यह पूँजीवादी व्यवस्था को महत्व नहीं देता है और मौजूदा स्वामियों को अपने आपको परिवर्तित करने का अवसर प्रदान करता है। यह इस विश्वास पर आधारित है कि मानव प्रकृति मुक्ति से परे नहीं है।

ii) समाज द्वारा अपने कल्याण के लिए गए स्वामित्व के अधिकार के अलाव यह संपत्ति के किसी भी निजी स्वामित्व अधिकार को मान्यता नहीं देता है।

iii) यह धन के स्वामित्व और उपयोग के कानून को बाहर नहीं रखता है।

iv) इस प्रकार देश के द्वारा विनियमित न्याय व्यवस्था के तहत एक व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए समाज के हितों की अवहेलना करते हुए धन का उपयोग नहीं कर सकता या इसका स्वामी बना नहीं रह सकता।

v) जैसा न्यूनतम वेतन देने का प्रस्ताव दिया गया है वैसा ही समाज में किसी व्यक्ति की अधिकतम आय की सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। इस न्यूनतम और अधिकतम आय का अंतर उचित, न्यायसंगत और समय-समय पर परिवर्तन किये जाने लायक होना चाहिए। परिवर्तन इस प्रकार होना चाहिए कि अंतर धीरे-धीरे समाप्त हो जाए।

vi) गाँधी की आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत, उत्पादन का निर्धारण व्यक्तिगत लालच की बजाए सामाजिक आवश्यकता के आधार पर किया जाना चाहिए।

7.3 न्यास एक प्राचीन भारतीय अवधारणा

गाँधी ने ईषोपनिषद के पहले श्लोक को न्यास के सिद्धांत का आधार बनाया। श्लोक के अनुसार व्यक्ति को अपना सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए और आवश्यकतानुसार इसका उपयोग करना चाहिए। पहली शर्त यह है कि व्यक्ति को दूसरों की संपत्ति का लालच नहीं करना चाहिए। दूसरे शब्दों में व्यक्ति को अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित कर देना चाहिए और उसे अपनी जरुरत के हिसाब उतने का ही उपयोग करना चाहिए जितना भगवान की रचना की सेवा के लिए आवश्यक हो। स्पष्ट है कि यह केवल औद्योगिक और व्यवसायिक क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है जहाँ न्यास के सिद्धांत को लागू किया जाना चाहिए। इस सिद्धांत का मूलभाव त्याग और सेवा है। यदि इन दोनों सिद्धांतों का समावेश नहीं होता है तो यह असंभव है कि आप "दूसरों के धन के प्रति कोई लालच नहीं" के सिद्धांत का पालन कर पाएंगे। इस प्रकार न्यास के सम्बन्ध में गाँधी के विचार आधिपत्य की अवधारणा पर आधारित हैं। इस सिद्धांत की संस्थापना उनके इस विश्वास पर हुई है कि प्रत्येक वस्तु ईश्वर की है और ईश्वर ही प्रत्येक वस्तु का प्रदाता है। दुनिया के संपूर्ण उपहार ईश्वर के सभी लोगों के लिए है और यह किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। जब किसी व्यक्ति के पास अपने से अधिक है, जो ईश्वर के लोगों के लिए वह उस हिस्से का न्यासी बन जाता है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है और उन्हें संचय करने की कोई आवश्यता नहीं है। गाँधी के लिए न्यास न तो कोई आर्थिक प्रणाली थी और न ही कोई बदलाव था। यह जीवन जीने का एक तरीका था। उन्होंने कहा, "न्यास का मेरा सिद्धांत न तो बदलाव है और न ही किसी प्रकार का छल। मुझे पूरा विश्वास है कि अन्य सभी सिद्धांतों के बीच भी यह चलता रहेगा। इसके पीछे धर्म और दर्शन की स्वीकृति है।" भारतीय दर्शन, धर्म और नीतिशास्त्र इससे भरे पड़े हैं। प्राचीन भारत में शासकों और राजाओं की अवधारणा वास्तविक न्यास पर आधारित थी। "रामराज्य" अवधारणा में निहित दर्शन इस तथ्य की गवाही देता है कि भारतीय सांस्कृतिक विरासत में शासकों ने अपने लिए नहीं बल्कि अपनी प्रजा के लिए शक्ति का उपयोग किया। भरत ने राम की अनुपस्थिति में राम के न्यासी के रूप में अयोध्या पर शासन किया। महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी थे। उनका कोई स्वार्थ या मकसद नहीं था। उन्होंने अर्जुन के न्यासी के रूप में कार्य किया ताकि अर्जुन को संतुष्टि प्राप्त हो।

अतीत में, हिन्दू संयुक्त परिवारों के मुखिया सच्चे न्यासी के रूप में जीवन बिताते थे। के. एम. मुंशी के अनुसार, "वे परिवार की संपत्ति का प्रबंधन परिवार के कल्याण के लिए करते थे। वे परिवार के युवा सदस्यों की अन्य शाखाओँ से संबंधित संपत्तियों की भी देखभाल करते थे और अनाथ, विधवा और बेसहारा लोगों को परिवार में आश्रय प्रदान करते थे। संपत्ति के बारे में डॉ. एस. राधाकृष्णन ने कहा है, हिन्दू दृष्टिकोण के अनुसार संपत्ति

मालिकों को संपत्ति, सामान्य उपयोग और लाभ के लिए एक जनादेश के रूप में देखना चाहिए। भागवत के अनुसार संपत्ति पर हमारा उतना ही हक है जितने से हम अपनी भूख मिटा सकते हैं। यदि कोई इससे अधिक संपत्ति की इच्छा रखता है तो वह चोर है और उसे सजा मिलनी चाहिए।"

इस प्रकार न्यास की अवधारणा को उन मूल्यों के संदर्भ में देखना चाहिए जिनका यह प्रतिनिधित्व करता है। यद्यपि यह सिद्धांत अत्यंत प्राचीन है, गाँधी ने इस दार्शनिक उपदेश को जीवन की ठोस वास्तविकताओं पर लागू किया ताकि मौजूदा आर्थिक समस्याओं का समाधान हो सके। भगवद्गीता का गाँधी की सोच और उनके आध्यात्मिक दर्शन पर गहरा प्रभाव है। गाँधी के अनुसार संपत्ति के त्याग के सिद्धांत में संपत्ति को एक न्यास के रूप में रखना शामिल है ताकि कई लोगों का कल्याण हो सके। यह एक ऐसा विचार है जो समाज पर हमेशा लागू होता है।

7.4 संपत्ति के प्रकार

7.4.1 प्रकृति के उपहार

गाँधी मानते थे कि पृथ्वी पर उपलब्ध सभी वस्तुएं ईश्वर की हैं। उनके मुताबिक एक व्यक्ति जो विरासत के रूप में या स्वयं ही मेहनत व उद्यमिता से संपत्ति हासिल करता है उसे अतिरिक्त संपत्ति का उपयोग मानवता की भलाई के लिए करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को यह भली-भांति समझना चाहिए कि आवश्यकता और लालच दो अलग-अलग चीजें है। आवश्यकता से अधिक जो कुछ भी एक व्यक्ति के पास है वह समाज का है और इसका उपयोग समाज के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए।

7.4.2 सामाजिक जीवन का उत्पाद

व्यक्ति सामाजिक शून्य में धन संचय नहीं कर सका। मान लीजिये कि किसी व्यक्ति ने बहुत बड़ी संपत्ति का निर्माण कर लिया है और कई उद्योगों की स्थापना की है, लेकिन वह अकेले ही इन सभी संपत्तियों का प्रबंधन नहीं कर सकता। कई अन्य व्यक्तियों ने भी उसके संपत्ति निर्माण में मदद की होगी। गाँधी जोर देकर कहते हैं कि श्रमिकों और किसानों के स्वामित्व को बौद्धिक स्वामित्व से अधिक माना जाना चाहिए। अमीर लोग, गरीब लोगों की सहायता के लिए धन संचय नहीं कर सकते। चूँकि गरीबों ने धन संचय में सहायता प्रदान किया है इसलिए उन्हें धन में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को मात्र उतनी ही संपत्ति का हकदार माना जाना चाहिए जितना उसकी तत्काल जरूरत और उसके अस्तित्व के लिए जरूरी है। किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वह अपनी आवश्यकताओं से अधिक संपत्ति का संचय करे विशेषकर ऐसी स्थिति में जब लाखों लोग बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में अक्षम हैं। उन्होंने लिखा, "आपको और मुझे इन वस्तुओं पर कोई हक नहीं है, जो हमारे पास है जबतक लाखों लोगों को बेहतर भोजन और वस्त्र उपलब्ध नहीं कराया जाता है।" उन्होंने प्रतिभाशाली लोगों को अधिक धन अर्जित करने की अनुमति दी परन्तु उन्हें सलाह देते हुए कहा कि उन्हें पीडित लोगों की भलाई के लिए अपनी प्रतिभा का उपयोग करना चाहिए। उन्हें केवल न्यासी के रूप में अपनी संपत्ति का स्वामी रहना चाहिए। इसका अर्थ है कि वे संपत्ति के स्वामी तो हैं लेकिन वे उन लोगों के अधिकारों के भी स्वामी है जिनका उन्होंने शोषण किया है। एक उद्यमी व्यक्ति एक अकर्मण्य व्यक्ति या औसत बुद्धि वाले व्यक्ति से हिंसा और शोषण किये बिना भी अधिक संपत्ति अर्जित कर सकता है। उन्होंने कहा, "यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि गलत कार्यों का सहारा लिये बिना भी धन संचय या संपत्ति निर्माण किया जा सकता है। मेरे एक एकड़ भूमि में सोने की खान हो सकती है।"

यह बात गाँधी ने शंकर देव राव को जवाब देते हुए कही थी जब उन्होंने पूछा था कि क्या वैद्य तरीकों को अपनाकर करोड़ों रुपये कमाए जा सकते हैं? "निश्चित रूप से एक व्यक्ति केवल वैद्य तरीकों को अपनाकर करोड़ों रुपये कमा सकता है। एक व्यक्ति वैद्य तरीकों को अपनाकर बड़ी संपत्ति का स्वामी बन सकता है। यदि मेरे पास खनन का पट्टा है और मुझे एक दुर्लभ हीरा प्राप्त होता है तो मैं गलत तरीकों को बिना अपनाये करोड़पति बन सकता हूँ।" यद्यपि ऐसा धन हिंसा और शोषण के बिना अर्जित किया गया है लेकिन वे यह मानने को तैयार नहीं है कि ऐसा धन व्यक्ति की वास्तविक प्रसन्नता और संतुलित विकास का स्रोत हो सकता है। ऐसा धन संचय व्यक्ति की आत्म-अनुभूति, एकीकृति व्यक्ति निर्माण और सर्वांगीण विकास के मार्ग में अवरोध के समान है। गाँधी सुझाव देते हुए कहते हैं कि व्यक्ति को धन त्याग की भावना विकसित करनी चाहिए और धन के एक हिस्से का उपयोग वैध जरूरतों तथा सम्मानजनक आजीविका को पूरा करने के लिए करना चाहिए।

उन्होंने न्यास को एक व्यावहारिक प्रस्ताव के रूप में स्वीकार किया जो अमीर और धनवान लोगों को अत्यधिक धन संचय और लालच के पाप से मुक्त करेगा तथा इससे एक समतावादी समाज की स्थापना में मदद मिलेगी। उपनिषद के मंत्र, "तेन त्यक्तेन मुंजिथा" का उद्धरण देते हुए उन्होंने कहा, "सभी साधनों का उपयोग करते हुए आप करोड़ों कमाएं। परन्तु आप यह समझें कि यह धन आपका नहीं बल्कि लोगों का है। आप अपनी जरूरतों के हिसाब से इस धन का एक हिस्सा ले लें और शेष धन का उपयोग समाज के लिए करें।"

गाँधी जानते थे कि व्यक्तियों की शारीरिक और बौद्धिक योग्यताओं में अंतर होता है। कुछ लोग अधिक दृढ़ता और ऊर्जा के साथ कार्य करते हैं। वे अपनी मेहनत को ईमानदारी से निष्पादित करते हैं। वे अन्य लोगों की तुलना में जिनमें ऊर्जा और उद्यमिता की कमी है, धन का अधिक संचय कर सकते हैं। इसके अलावा बेहतर शारीरिक और बौद्धिक क्षमतावान लोग धन अर्जन तथा राष्ट्र की बौद्धिक उत्कृष्टता के लिए नए तरीकों और साधनों को ईजाद कर सकते हैं। राष्ट्र की भौतिक समृद्धि और प्रगति इस प्रकार के सक्षम, ऊर्जावान, उद्यमी और कल्पनाशील लोगों के उत्साहजनक प्रदर्शन पर निर्भर करती है। राष्ट्र की समृद्धि और प्रगति अकर्मण्य, बीमार और बौद्धिक रूप से कमजोर व्यक्तियों पर निर्भर नहीं करती है। गाँधी इस बात को प्राथमिकता देते हैं कि औसत से अधिक या असाधारण प्रतिमा के लोगों को अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करने चाहिए और बदले में सिर्फ उतने का ही उपयोग करना चाहिए जो उनकी वैध जरूरतों के लिए आवश्यक हो।

गाँधी के अनुसार न्यास एक ऐसा लक्ष्य है जिसकी आकांक्षा करनी चाहिए। यदि प्रत्येक व्यक्ति यह लक्ष्य प्राप्त कर लेता है तो एक समतावादी और नेक समाज का निर्माण हो सकता है। गाँधी कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के हृदय में एक सूक्ष्म, बारीक और महत्वपूर्ण तंतु होता है जो नेक, त्याग और दूसरों के लिए करूणा से भरा है। कभी-कभी इस तंतु पर लालच, स्वार्थ और अहम की धूल जम जाती है परन्तु यदि इसका ठीक से संचालन किया जाए तो मनुष्य के हृदय का यह सूक्ष्म तंतु दूसरों के कल्याण के लिए त्याग, आत्म पीड़ा और बलिदान का सुमधुर संगीत को संचारित करेगा। "प्रत्येक मानव हृदय में तंतु होते हैं। यदि हम यह जानते हैं कि इन तंतुओं को किस प्रकार संचालित किया जाए तो हम संगीत पैदा कर सकते हैं।" उन्होंने कहा, "हमें लोगों से कल्याण के लिए अपील करनी चाहिए और उनकी सकारात्मक प्रतिक्रिया की उम्मीद करनी चाहिए।"

7.5 राज्य विनियमित न्यास

गाँधी ने अमीर लोगों द्वारा न्यास की स्वैच्छिक अवधारणा की कमियों को महसूस किया। उन्होंने यह भी महसूस किया कि एक दबाव की रणनीति की जरूरत है जिसे श्रमिकों द्वारा

अपनाया जाना चाहिए। इस प्रकार न्यास के विचार को प्रभावी बनाने के लिए वैधानिक और कानूनी आधार के महत्व की बात सामने आई। परन्तु गाँधी के मन में जो कानून था वह राज्य के द्वारा लागू किया जाने वाला कानून नहीं था जो हिंसा के केन्द्रित और संगठित रूप का प्रतिनिधित्व करता है। सत्ताधारी पार्टी या नौकरशाही के कुलीन वर्ग को योजना बनाने और इसे लागू करने की जिम्मेदारी नहीं दी जानी थी। वे चाहते थे कि ऐसे कानूनों को ऊपर से लागू नहीं किया जाना चाहिए बल्कि इसकी शुरुआत नीचे से होनी चाहिए। सामाजिक और राजनीतिक संगठन के सम्बन्ध में गाँधी की आदर्श तस्वीर थी - एक स्वनिर्भर और स्वशासित ग्राम गणराज्य प्रणाली, लोकतांत्रिक तरीके से संगठित ग्राम पंचायत। इनका गठन लोगों की सहमति के आधार पर किया जाना चाहिए और इसे सरकार की मूल इकाई के रूपमें समझा जाना चाहिए। अमीर लोगों की संपत्ति को विनियमित करने वाला कानून, ग्राम पंचायतों द्वारा निष्पक्ष और विस्तृत बहस के बाद पारित किया जाना चाहिए। लोगों को भी इस कानून के सिद्धांतों की समझ होनी चाहिए। उनका विश्वास था कि जब लोग न्यास के प्रभाव को समझेंगे तो वे स्वयं ही ग्राम पंचायत में ऐसे कानून पेश करेंगे। ऐसे कानून जो जमीनी स्तर से उत्पन्न होते हैं उनका पालन करना भी आसान होता है। विशेषकर उन कानूनों की तुलना में जिसे राज्य ऊपर से लागू करते हैं।

न्यास के सिद्धांत को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने को गाँधी अंतिम उपाय मानते थे। उन्होंने कानून लागू करने के लिए अनुनय-विनय और मन बदलने के उपायों को नजरअंदाज नहीं किया। उन्होंने महसूस किया कि अनुनय-विनय और रूपांतरण के प्रयासों से अमीर वर्ग मानसिक रूप से ऐसे कानूनों के लिए अपने को तैयार करने में सक्षम होगा। इसलिए इस तरीके का उपयोग कानून लागू करने के पहले किया जाना चाहिए। रूपांतरण के प्रयास के बारे में गाँधी मानते थे कि इसे प्रार्थना और याचिका के रूप में नहीं देखना चाहिए बल्कि इसे जनमत या लोकतांत्रिक ताकतों के शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा था, "यदि अमीर वर्ग स्वैच्छिक रूप से न्यास के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है इसका रूपांतरण जनमत के दबाव में होना चाहिए।"

गाँधी ने महसूस किया कि न्यास की शुरूआत के लिए राज्य पर निर्भर हुआ जा सकता है। स्वैच्छिक न्यास की प्रणाली के लिए न्यास के सिद्धांतो के बारे में लोगों को शिक्षित करना या श्रमिकों व किसानों को अपने अधिकारों व गरिमा के बारे में शिक्षित करना ताकि न्यास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ बन सकें, एक लम्बी प्रक्रिया है जिसमें काफी समय लगेगा। परन्तु यदि राज्य समय पर हस्तक्षेप नहीं करता है तो संपत्ति के बेकार मालिकों द्वारा कुछ राष्ट्रीय परिसंपत्तियां बर्बाद की जा सकतीं हैं। हालांकि गाँधी राज्य और इसके द्वारा की जाने वाली हिंसात्मक कार्रवाई से भयभीत रहते थे लेकिन राष्ट्र के दीर्घावधि हित के लिए वे संपत्ति स्वामियों पर न्यास के लिए दबाव बनाने में राज्य के हस्तक्षेप को अनुमति देने के लिए तैयार थे। "मुझे वास्तव में खुशी होगी यदि लोग न्यासी के रूप में व्यवहार करेंगे परन्तु यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो हमें राज्य की मदद से उन्हें अपनी संपत्तियों से वंचित करना होगा।"

गाँधी चाहते थे कि न्यासियों की मूल इच्छा का सम्मान किया जाए और इसे कानूनी मंजूरी दी जाए। गाँधी ने व्यावहारिकता को ध्यान में रखते हुए कहा कि न्यासी लोगों में साधारण पुरुष व महिलाओं की अपेक्षा त्याग की बेहतर भावना हो सकती है और वे स्व-त्यागी भी हो सकते हैं तथापि उनमें अपने बच्चों के लिए कमजोरी हो सकती है। यदि न्यासियों को अपना उत्तराधिकारी चुनने की पूर्ण शक्ति दे दी जाती है तो संभव है कि वे अपने लोगों को ही न्यासियों के रूप में चुनेंगे। यह कानूनी न्यासियों के सम्बन्ध में विशेष रूप से सत्य हो सकता है जिन्होंने स्वेच्छा से अपनी संपत्ति का त्याग नहीं किया है और राज्य या पंचायत

के कानून के दबाव में वे त्याग करने के लिए मजबूर हुए हैं। गाँधी ने सुझाव दिया कि मूल न्यासियों के द्वारा दिए गए नामांकनों की राज्य द्वारा पुष्टि की जानी चाहिए।

7.6 सारांश

गाँधी के न्यास की अवधारणा में लोगों की मानवतावादी प्रकृति होने और मन से नेक होने पर विश्वास जताया गया है। न्यास की इस अवधारणा की आलोचना इस आधार पर की गई है कि यह एक अत्यंत सरल अवधारणा है और यह समाज में समानता को बढ़ावा नहीं देती है। कई आलोचकों और यहां तक कि उनके समर्थक जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि न्यास की यह अवधारणा सामंतवाद को आगे बढ़ाती है और पूँजीवाद को बढ़ावा देती है।

प्रो. एम.एल. दंत वाला के अनुसार, "पूँजीवाद की एक प्रमुख विशेषता है समाज का संपत्ति स्वामी और संपत्ति से वंचित वर्ग के रूप में विभाजन। इसे गाँधीवाद में बनाए रखा गया है। गाँधीवाद में एकमात्र अंतर यह है कि संपत्ति का स्वामी वर्ग अपने को सर्वहारा वर्ग की ओर से संपत्ति का न्यासी मानता है। यह बदलाव विशुद्ध रूप से व्यक्ति परक है। उत्पादन की सभी स्थितियां बटी रहेंगी जैसी पूँजीवादी व्यवस्था में रहतीं हैं। व्यक्तिगत न्यासियों के बीच अनियोजित निजी प्रतिस्पर्धा के आधार पर उत्पादन जारी रहेगा। उत्पादन की इन स्थितियों के अपने ठोस तर्क होते हैं और ये उस विरोधाभास की ओर ले जाएंगे जिन्हें हम आज की पूँजीवादी व्यवस्था में देखते हैं।"

ई.एम.एस. नंबूदरीपाद ने कहा, "न केवल ग्रामीण गरीबों के संबंध में बल्कि श्रमिक वर्ग और श्रम से संबंधित अन्य वर्गों के बारे में भी उनका दृष्टिकोण वास्तविक व्यवहार में पूँजीपतियों की मदद करता था। न्यास संबंधी उनका सिद्धांत, किसी राजनीतिक गतिविधि के लिए मार्गदर्शक के रूप में नैतिक मूल्यों पर उनका जोर, कुशल तरीका जिसके तहत उन्होंने अपने अतिरिक्त संसदीय गतिविधियों (रचनात्मक कार्यक्रम और सत्याग्रह) को अपने समर्थकों की संसदीय गतिविधियों से जोड़ा, सामूहिक प्रत्यक्ष कार्रवाई करते हुए भी विरोधियों से बातचीत करना - ये सभी बातें वास्तव में बुर्जुआ वर्ग को अत्यधिक सहायता पहुंचाती थी, विशेषकर (क) साम्राज्यवाद के खिलाफ आम जनता को आगे लाने में तथा (ख) जनता को क्रांतिकारी जन कार्रवाई करने से रोकने में। आम लोगों को आगे लाने और उनपर रोक लगाने तथा साम्राज्यवाद के खिलाफ प्रत्यक्ष कार्रवाई शुरु करने एवं साथ ही साम्राज्यवादी शासकों के साथ बातचीत जारी रखने सम्बन्धी उनकी क्षमता ने उन्हें बुर्जुआ (पूँजीपति) वर्ग का निर्विवाद नेता बना दिया।"

सहानुभूति रखने वाले एक गाँधीवादी अर्थशास्त्री प्रो. जे.जे.अंजारिया के अनुसार, "एक अल्पकालिक उपाय के रूप में न्यास एक बेहतरीन अवधारणा है परन्तु दीर्घावधि के लिए दबाव नैतिक रूप से बुरा है यह बड़े पैमाने पर यह वांछनीय नहीं है। परन्तु समस्या से दूर भागना और भाग्यशाली व्यक्तियों (धन के मामले में) को यह अपील करना कि वे अधिक दयालुता दिखाएं भी समाधान नहीं है।"

नोबेल पुरस्कार विजेता गुन्नार मर्डल गाँधी को प्रतिक्रियावादी उदारवादी मानते थे। वे "एशियन ड्रामा" में कहते हैं, "न्यास संबंधी विचार मूल रूप से एक ऐसी अवधारणा है जो पितृवादी, सामंतवादी और पूर्व लोकतांत्रिक समाज के लिए अनुकूल है। यह इतना लचीला है कि इसे असमानता के औचित्य के रूप में पेश किया जा सकता है। संभवतः गाँधी ने यह महसूस कर लिया था इसलिए उन्होंने नैतिक क्रांति की बात कही। अमीर लोगों का हृदय परिवर्तन। परन्तु वास्तविक दुनिया में ऐसी क्रांति की संभावना न के बराबर

है। न्यास संबंधी आदर्श शून्य है, समाज का एक ऐसा दृष्टिकोण जहाँ अमीर करूणा दिखाते हैं ताकि गरीब कमजोर बने रहें। न्यास संबंधी सिद्धांतों के प्रति अनेक जोर से सिर्फ शब्दों के एक प्रतिक्रियावादी पैटर्न की स्थापना हुई जो कार्रवाई में रूढ़िवादी था। यही भारतीय परिदृश्य का हिस्सा भी था।"

न्यास का मुख्य जोर बहुत व्यापक और गहरा है और इसलिए इसे अच्छी तरह समझना आसान नहीं है। इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण भी नहीं है जिसकी मदद ली जा सकती है। पूरी तरह से न्यास सिद्धांत पर आधारित मामलों का किसी भी स्थान पर प्रयोग भी नहीं किया गया है। गाँधी के सिद्धांत की या तो कड़ी आलोचना हुई या इसे अत्यधिक प्रशंसा मिली लेकिन इसका प्रयोग नहीं हो पाया।

7.7 अभ्यास प्रश्न

1) गाँधी की ट्रस्टीशिप की अवधारणा की व्याख्या करें।

2) ट्रस्टीशिप फॉर्मूला क्या है?

3) प्राचीन भारतीय अवधारणा के रूप में ट्रस्टीशिप की व्याख्या करें।

4) राज्य विनयिमित ट्रस्टीशिप क्या होती है?

5) क्या ट्रस्टीशिप की अवधारणा आज भी प्रासंगिक है?

7.8 संदर्भ ग्रंथ

अंजरिया, जे. जे., *ऐन ऐससे ऑन गाँधीयन इकोनॉमिक्स,* वोरा एण्ड कम्पनी, बॉम्बे, 1945

बिस्वास, एस.सी. (ऐड), *गाँधी, थियरी एण्ड प्रैक्टिस, सोशल इम्पैक्ट एण्ड कंटम्परेरी रिलिवेंस,* इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऐडवांस्ड स्टडीज, शिमला, 1969

दंतवाला, एम.एल., *गाँधीस्म रिकंसिडर्ड,* पद्मा पब्लिकेशंस, बॉम्बे, 1945

धर्माधिकारी, सी.एस, ''गाँधीयन व्यू ऑन ट्रस्टशिप', गाँधी सेवाग्राम आश्रम, एन.डी. https://www.gandhiashramsevagram.org/gandhi-articles/gandhi-concept-of-trusteeship.php.

गाँधी, एम.के., ''गाँधीज कॉन्सेप्ट चह ट्रस्टशिप'', इंस्टीट्यूट ऑफ गाँधीयन स्टडीज, एन.डी. http://www.gvpwardha.iecit.in/documents/books/contemplatinggandhi/Ch-12.pdf.

हरिजन : ए जर्नल ऑफ अपलाईड गाँधीज्म, गारलैण्ड पब्लिशिंग आईएनसी., न्यू यॉर्क, 1973

केसवुलु, वाय, ''गाँधीयन ट्रस्टशिप ऐज ऐन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ह्यूमन डिग्निटी'', *महात्मा गाँधीज राईटिंग्स एण्ड फिलोसफीस,* वॉल्यूम-25, नं.4, जनवरी-मार्च, 2004

मैकडेरमोट, रॉबर्ट ए., (ऐड) *द बेसिक राईटिंग्स ऑफ एस. राधाकष्णन,* जैको पब्लिशिंग हाउस, मुम्बई, 1972

मोनिज, जॉन, *लिब्रेटेड सोसाइटी : गाँधीयन एण्ड क्रिश्चियन विजन : कम्पेरेटिव स्टडी,* ग्रेगोरियन यूनिवर्सिटी प्रेस, रोम, 1996

मुखर्जी, हिरेन, *गाँधी : ए स्टडी,* पीपुल पब्लिशिंग हाउस, न्यू देहली, 1960

मार्यडल, गनर, *एशियन ड्रामा : ऐन इंक्वायरी इन्टू द पूवर्टी और नेशन्स, पेंटियोन, न्यू यॉर्क, 1968*

नम्बूदिरिपद, ई.एम.एस., *द महात्मा एण्ड द इज़्म,* पीपुल पब्लिशिंग हाउस, न्यू देहली, 1959

नेहरू, जवाहरलाल, *ऐन ऑटोबायोग्राफी,* द बैडली हैड, लन्दन, 1958

सेठी, जे.डी., *गाँधी टूडे,* विकास पब्लिशिंग हाउस, न्यू देहली, 1976

शर्मा, जय नारायण एण्ड बी.आर. डुगर, *रिलेटिव इकोनॉमिक्स,* दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड, न्यू देहली, 2010

शर्मा, जय नारायण *अल्टरनेटिव इकोनॉमिक्स, दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन्स प्राइवेट लिमिटेड, न्यू देहली, 2003*

शुक्ला, वी., ''रिलिवेंस ऑफ गाँधीयन इकोनॉमिक्स इन द इरा ऑफ ग्लोबलाइज़ेशन एण्ड इट्स ऐडुकेशनल इम्पिलिकेशंस'', 2015 ir.inflibnet.ac.in.

स्मिथ, ऐडम, *ऐन इंक्वायरी इन्टू नेचर एण्ड काजेज ऑफ वेल्थ चह नेशन,* द मॉडर्न लाइब्रेरी, न्यू यॉर्क, 1938

द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गाँधी, पब्लिकेशंस डिविज़न, मिनिस्ट्री ऑफ इंर्फोमेशन एण्ड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया, न्यू देहली, 1961

यंग इण्डिया, नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, अहमदाबाद, एन.डी.